वर्ष-7 अंक-11 नवम्बर 2017 मूल्य 15

लोक जागृति

पत्रिका

कानूनी मुद्दों पर मुखर बातचीत एवं सामाजिक जन जागरण का मासिक प्रकाशन

अयोध्या की दिवाली

महामहिम रामनाथ कोविंद के साथ संस्था के संरक्षक पं. दयानंद शुक्ल।

छत्तीस गढ़ का प्रभार मिलने पर श्री पी.एल. पुनिया को बधाई देते संस्था अध्यक्ष एसके मिश्रा।

लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान श्री प्रकाश शर्मा को गुलदस्ता भेंट करते लोक जागृति संस्था के अध्यक्ष श्री संतोष मिश्रा।

राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी के साथ लोक जागृति संस्था के अध्यक्ष संतोष मिश्रा व पं. दयानंद शुक्ल

लोक जागृति की 20 सूत्रीय मांग

1– बेरोजगार को रोजगार प्रदान कराना।
2– सभी को उचित चिकित्सा सुविधा प्रदान कराना।
3– आरक्षण का आधार आर्थिक हो।
4– पुलिस व्यवस्था में सुधार हो।
5– अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कार्य एवं योग्यता का प्रत्येक दस वर्ष में उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन होना चाहिए।
6– एक निश्चित समय में न्याय निर्णय की व्यवस्था करना।
7– भारतीय न्यायालयों में भारतीय भाषा में कार्य करने की स्वतंत्रता हो।
8– शिक्षण संस्थान एवं चिकित्सा व्यवस्था पर सरकार का नियंत्रण हो।
9– सांसद व विधानसभा में पार्टी व्यवस्था समाप्त कर लोकहित में काम करना।
10– सामाजिक सोशल आडिट की व्यवस्था करना।
11– लाभ के पद पर बैठे लोगों की सब्सिडी बंद करना।
12– बड़े नोट 2000 रुपए के नोटों का चलन बंद होना।
13– हर वस्तुओं एव सेवाओं की लागत अंकेक्षण कराना और वस्तुओ के पैकेट पर लागत मूल्य लिखना।
14– भारतीय दण्ड संहिता में सुधार झूठे केस दर्ज कराने एवं करने पर कार्यवाही करना या कुछ दण्डात्मक कार्यवाही ।
15– समान शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था करना।
16– देश के प्राकृतिक संसाधनो पर सरकार का अधिकार होना चाहिए।
17– सीलिंग लिमिट जैसे कृषि भूमि पर उसी तरह शहरी क्षेत्र में भी होनी चाहिए।
18– कराधान एवं लाइसेंसी प्रक्रिया को सरल एवं स्पष्ट करना। लाल फीता शाही खत्म करना।
19– गरीबों की सही पहचान और लोगों को रोजगार परक बनाना एव स्वावलम्बी बनाने का कार्यक्रम बनाना।
20– टोल टैक्स समाप्त करना।

हमारा निस्वार्थ प्रयास

लोक जागृति की स्थापना स्वामी नारायण जी के विचारों से प्रेरित होकर की गई है। योगी, त्यागी, सन्यासी महापुरूष लोक की जागृति के लिए संन्यास लेते हैं जिनमें स्वामी नारायण जी एक प्रमुख नाम है। स्वामी जी ने मानवतावादी धर्म के प्रसार–प्रचार के लिए विश्व भर में प्रयत्न किया और उनके प्रयास सफल रहे। वे वसुधैव कुटुम्बकम् की वैदीय परम्परा के प्रसारक योगी रहे। उनके धर्म–कर्म, मानवता के प्रसारक शिक्षा केन्द्र अक्षरधाम के नाम से पूरे विश्व में जगह जगह स्थापित हुए। उन्हीं सैंकड़ों मंदिरों में से एक, दिल्ली में स्थित अक्षरधाम मंदिर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है स्वामी नारायण जी ने जिला गोंडा के छपिया में जन्म लिया था। लोकजागृति संस्था से जुड़े हम अधिकांश सदस्य उन्हीं के क्षेत्र में अपना बालकाल और छात्रजीवन जिये और उनके बारे में सुनते पढ़ते रहे। कुछ सामर्थ्य मिलने पर उनके पगचिह्नों पर चलकर यथा संभव मानवतावादी, जनहितैषी काम करने की इच्छा थी जिसके प्रयोग और प्रयास में कुछ सुधी, पाठकों, विज्ञ जनों के साथ मिलकर सन् 2010 में लोकजागृति की स्थापना की। अपनी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक क्षमतानुसार हम सभी सदस्य इस गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) के जरिये जनहितैषी प्रयास करते हैं और आम आदमी के सामाजिक, कानूनी मुद्दों से जुड़ी बातें प्रकाशित करते हैं।

प्रकाशित पत्रिका गाँव के ग्राम प्रधानों, जरूरतमंदों और समदर्शी विचारों से जुड़े सुधी जनों को निःशुल्क भेजी जाती हैं। सदस्य ही नहीं, लेखक, पत्रकार संस्था को निःशुल्क, अवैतनिक सेवा देते हैं। जनहित वाले कई आलेख हम साभार अन्य प्रकाशनों से उद्धृत करने की गुस्ताखी भी करते हैं।लोकजागृति संस्था भारतीय आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12–ए एवं 80–जी के तहत मान्यता प्राप्त है। इससे संस्था एन.जी.ओ. प्रमाणित होने के साथ ही सुधी, संवेदनशील लोगों से संस्था को प्रदत्त दान, से उन दाताओं को आयकर में 50 फीसदी राशि की छूट मिला करती हैं ।

हम दावा नहीं कर सकते कि अपने प्रयत्नों से बहुत कुछ बदल देंगे मगर छोटे–छोटे प्रयासों से समाज के अंतर्मन में रचनात्मकता बने रहती है, जिसके लिए सभी को यत्न करना चाहिए। मानव सभ्यता इसकी गवाह है। कायाकल्प कर देने या फिजा ही बदल देने के दावे या तो राजनैतिक लोग करते हैं या बड़बोले। हम स्वामी नारायण जी एवं युगों से दुनिया में अवतरित हुए ऐसे ही महापुरुषों की तरह उनके पगचिह्नों पर चलने का बहुत विनम्रता से सिर्फ तनिक प्रयास मात्र करते हैं। 'नामुक्तः क्षीयते कर्मः कल्प कोटि शतैरपि' की अवधारण से हमें ऐसे कर्मों में जुटने की ताकत मिलती है। ईश्वर दया करें कि हम भी शूक्ष्म सहयोग इस आदि अनंत मानव श्रृंखला, जीव जन्तु एवं पर्यावरण के हित में कर पाऐं। संस्था के इस पारदर्शी मिशन से किसी भी तरह के सहयोग के लिए जाति धर्म से ऊपर, जो समविचार महानुभाव जुड़ना चाहते हों, उनका सहृदय स्वागत है।

लोक जागृति फोन: 9560522777; website: www.lokjagriti.com

Suresh Pandey 9810514888

INDIAN/ FOREIGN BOOKS, JOURNALS,
NEW/OLD LAW BOKS,
BACK VOLUMES & SUBSCRIPTIONS SUPPLIER

SK ACADEMIC PUBLISHING PVT. LTD.

E-252/4, West Vinod Nagar, Delhi - 110092
E- mail: suresh66pandey@gmail.com
pandeysureshk@gmail.com

आवश्यकता है

देशभर में संवाददाताओं, विज्ञापन दाताओं की हर खबर और तस्वीर का उचित मूल्य

संपर्क करें

लोक जागृति पत्रिका

95 ए, सेक्टर 3, वैशाली, गाजियाबाद, उ.प्र. 201010
lokjagriti@gmail.com, 9560522777

www.lokjagriti.com

लोक जागृति के कार्यक्रम

लॉयन क्लब द्वारा एक कार्यक्रम के दौरान लोक जागृति वृद्धा आश्रम को वाशिंग मशीन भेंट की गई। इसी कार्यक्रम में श्री नीरज बंसल को लायंस क्लब का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।

लोक जागृति संस्था द्वारा संचालित संस्कृत विद्यालय के छात्र (बाएं) बच्चों को जलपान कराते संस्था अध्यक्ष श्री संतोष मिश्रा।(दाएं)

हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी स्वतंत्रता दिवस पर लोक जागृति संस्था की ओर से भंडारे का आयोजन किया गया।

लोक जागृति संस्था की ओर से वैशाली में बच्चों का जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

श्री एसपीएल पुनिया के साथ एडवोकेट अश्विनी मिश्र व पं. दयानंद शुक्ल।

प्रधानाध्यापक का सम्मान करते लोक जागृति संस्था के अध्यक्ष संतोष कुमार मिश्रा।

जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं कि उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की।

लोक जागृति पत्रिका

नवम्बर 2017 वर्ष 7 अंक 11

संरक्षक

पं. दयानंद शुक्ला

कपिल सिंघल

संपादक

संतोष कुमार मिश्रा (एडवोकेट)

वित्त सलाहकार एवं सह सम्पादक

नीरज बंसल

समाचार संपादक

आलोक सोलंकी

बृजमोहन

संपादकीय सहयोगी

सुरेश पाण्डेय

विजय बहादुर सिंह

तेज सिंह यादव (एडवोकेट)

नरेन्द्र कुमार सक्सेना

गिरीश त्रिपाठी

एस.बी.एस. गौतम

सत्येंद्र श्रीवास्तव

अश्विनी मिश्रा (एडवोकेट)

राहुल मिश्र

जगजीत सिंह

कृष्ण कुमार पाण्डेय (एडवोकेट)

राजेश कुमार मिश्र

कमल कांत त्रिपाठी (एडवोकेट)

तरुण गुप्ता (एडवोकेट)

पूनम सिंह (एडवोकेट)

शोभा चौधरी

अनिल कुमार शुक्ला

रजनीश कुमार पाण्डेय

महेन्द्र पाण्डेय (एडवोकेट)

प्रमोद उपाध्याय (एडवोकेट)

मार्केटिंग

संजय मिश्रा

कानूनी सलाहकार

अभिषेक शर्मा

साज सज्जा

A.N.R. Creation

7827449997

मुद्रक प्रकाशक एवं संपादक

संतोष कुमार मिश्रा

द्वारा आदर्श प्रिंटिंग हाउस बी 32 महिंद्रा इंक्लेव शास्त्री नगर गाजियाबाद से मुद्रित एवं 3ए 341 वैशाली, गाजियाबाद से प्रकाशित ।

इस पत्रिका में छपे किसी भी लेख से संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है । किसी भी विवाद के निराकरण के लिए गाजियाबाद न्यायालय पूर्ण क्षेत्राधिकार व निर्णय मान्य होगा ।

RNI NO.
UPHIN/2011/39809

सम्पादकीय

सत्यान्वेषी, सत्यनिष्ठ एवं सत्यवादी लोग सत्य को ईश्वर के समान पवित्र समझते हैं। यदि उनसे कोई त्रुटि हो जाए तो वे विनम्रता पूर्वक स्वीकार करते हैं। अपनी गलती को सही ठहराने की जिद करने वाले लोग जड़, मूर्ख एवं अहंकारी होते हैं। भाजपा के वरिष्ठतम नेताओं में से एक, पूर्व वित्त एवं विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा ने जीएसटी को लेकर जो चिंता व्यक्त की है, उस चिंता को उनसे पूर्व भी सुब्रमण्यम स्वामी जैसे कई अनुभवी नेता, अर्थशास्त्री एवं समाजशास्त्री व्यक्त कर चुके हैं किंतु यह देखकर हैरानी होती है कि यशवंत सिन्हा की बात पर गंभीर मंथन करने के पश्चात् ही कोई उत्तर देने के स्थान पर गृहमंत्री जैसे अनुभवी एवं स्वच्छ छवि वाले नेताओं ने यह कहने में विलम्ब नहीं किया कि देश की अर्थव्यस्था तेजी से पटरी पर दौड़ रही है। क्या अपनी सरकार की सही एवं गलत, हर बात में, हाँ में हाँ मिलाने तक ही आज की राजनीति सीमित होकर रह गई है!

जीएसटी को लागू हुए पर्याप्त समय हो चुका है और इसके अच्छे–बुरे पक्ष देश के सामने आने लगे हैं। इसके अलावा जीएसटी का पोर्टल भी ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। पूरा देश दिल्ली नहीं है दिल्ली को मानकर जो यह योजना बनाई गई है यह गलत है पूरे देश में दिल्ली जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। कर चोरों को कर देने के लिए बाध्य करना एक अच्छी सरकार की जिम्मेदारी है, इस दृष्टि से जीएसटी एक अच्छा कदम कहा जा सकता है किंतु कर चोरों को घेरने के चक्कर में जब सरकार आम आदमी की रोजी–रोटी पर भी फंदा डाल दे तो उसे अच्छा कदम नहीं कहा जा सकता। जीएसटी की जटिलताएं आज भी देश के लाखों वकील और चार्टर्ड एकाउण्टेंट नहीं समझ पाए हैं, आम आदमी के लिए तो यह किसी मुसीबत से कम नहीं है। छोटे–छोटे कारोबारी आज भी जीएसटी में पंजीकरण कराने, मासिक–त्रैमासिक विवरणियां भरने और पैनल्टियों से बचने में अपने आप को फंसा हुआ पाते हैं और स्वयं को अपमानित एवं ठगा हुआ अनुभव कर रहे हैं। कुछ व्यापारी तो दम घुटने जैसी स्थिति में हैं। क्या किसी भी चुनी हुई सरकार के लिए जनता के बीच ऐसी स्थितियां पैदा कर देना समझदारी का काम कहा जा सकता है!

सरकार की एजेंसियों में यदि सत्य को सुनने, समझने और कहने की शक्ति है तो वे सोशल मीडिया को उठाकर देख लें, चारों तरफ जीएसटी की जटिलताओं की चर्चा है, लोगों के काम–धंधे मंद पड़ने की चर्चा है और नवीन रोजगारों के अवसर घटने की चर्चा है। सरकार की एजेंसियों के लिए कुतर्क करने के लिए पर्याप्त कारण है कि जीएसटी के बाद लेखाकारों एवं वकीलों के लिए रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हुए हैं किंतु उनके पास इस बात का जवाब नहीं है कि वकीलों और लेखाकारों की हर माह मोटी फीसें कौन चुकाएगा! क्या वित्त मंत्री जीएसटी का सरल और कॉमनमैन फ्रैण्डली विकल्प देने का नैतिक साहस दिखा सकते हैं! क्या प्रधानमंत्री जिनकी छवि जनता से कर वसूलने वाले कठोर शासक की बनती जा रही है, करों की दरें कम करने तथा लाखों करोड़ रुपए से बनने वाली बुलेट ट्रेन के फैसले पर दुबारा से विचार करने का नैतिक साहस दिखा सकते हैं! प्रधानमंत्री अपने भाषणों में अपनी ही पीठ ठोकते नहीं थकते कि वे जनता के हित में कठोर फैसले ले रहे हैं किंतु कभी जनता के मुंह से सच्चाई सुनने की हिम्मत तो दिखाएं। ईमानदारी की बात यह है कि जनता अपनी बैंक जमाओं पर ब्याज दर घटने, जिन चीजों पर पहले कर नहीं लगता था, उन पर भी कर लगने, रेलवे और वायुयान के किराए बढ़ने, पैट्रोल–डीजल के भाव बढ़ने, महंगाई बढ़ने, जीएसटी की जटिलताओं के कारण काम–धंधे में नई कठिनाइयों के उत्पन्न होने से तंग है। अर्थशास्त्र के जनक चाणक्य ने कहा था 5 फीसद से अधिक टैक्स जनता से नहीं वसूलना चाहिए। इससे अधिक टैक्स वसूलना सरकार व जनता दोनों के लिए ठीक नहीं है।

किसी आदमी का असली चरित्र तब सामने आता है जब वो नशे में होता है।

वो साढ़े नौ साल कैसे लौटेंगे

अदालत ने कहा कि आरुषि के मां–बाप के खिलाफ उनकी बेटी को कत्ल करने के कोई सुबूत नहीं हैं. इस फैसले से वे जेल से छूट जाएंगे। लेकिन करीब साढ़े नौ साल तक जो उनके दिल पर गुजरी है। वो कैसे वापस होगा? उस ट्रॉमा को उनके अलावा दुनिया में कोई और महसूस नहीं कर सकता। वह दर्द सिर्फ उन्हीं का हिस्सा है।

कितना बेहूदा मीडिया ट्रायल उन मां–बाप के साथ हुआ जिनकी 14 साल की इकलौती बेटी कत्ल हो गई? क्या नहीं कहा गया उनके बारे में जैसे "बेटी जब घर में कत्ल हुई, उस वक्त मां–बाप वाइफ स्वॉपिंग पार्टी में थे।", "बेटी बदचलन थी और वह अधेड़ उम्र के नौकर के साथ सोती थी." और "बेटी के अपने स्कूल के लड़कों से रिलेशनशिप थे.." शुरू में जब केस यूपी पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी तब यूपी के एक बहुत सीनियर अफसर ने कहा कि लड़की देर रात तक चौटिंग करती थी और निंफोमेनिक थी. जाहिर है कि वह यूपी पुलिस की थ्यौरी मीडिया में प्लांट कराना चाहते थे. आरुषि मर्डर केस को जर्नलिज्म के स्कूलों में क्राइम रिपोर्टिंग की सबसे बेहूदा मिसाल की केस स्टडी के तौर पर पहचाना जाना चाहिए, ताकि भविष्य के पत्रकार वह गुनाह न करें

अदालत का फैसला आया है तो आरुषि की तस्वीरें एक बार फिर मीडिया में छाई हुई हैं. एक तस्वीर में आरुषि मम्मी–पापा के साथ सिंगापुर के जुरॉग बर्ड पार्क में है. तीनों के हाथों पर रंग–बिरंगी चिड़िया बैठी हैं. उसे देखकर कहीं लगता है कि इन मां–बाप ने अपनी बच्ची को कत्ल कर दिया होगा? सीबीआई ने जब तलवार के घर के फोन की कॉल हिस्ट्री खंगाली तो उसमें आरुषि के कत्ल वाली रात करीब साढ़े नौ बजे बाप की एक फोन कॉल मिली जो उसने मुंबई में "इम्रेसिओंज ट्रेडर्स" को आरुषि के लिए नया कैमरा मंगाने के लिए किया था. आरुषि की मौत के बाद जब उस कैमरे का कोरियर घर आया होगा तो सोचिए बाप के दिल पर क्या गुजरी होगी?

गाजियाबाद की डासना जेल की ऊंची दीवारों के पीछे सारे वक्त बिल्कुल खाली जहन में क्या चलता होगा? नुपुर तलवार ने कहा कि "बस ऐसे लगता है जैसे आंखों के सामने आरुषि की कोई फिल्म चल रही हो। हर लम्हा याद आता है, जब वो नन्ही सी पैदा हुई थी। जब वो डग–मग, डग–मग कर चलती और गिर जाती थी.. जब वो पहली बार यूनिफॉर्म पहन स्कूल गई और जब वह बिस्तर पर मरी पड़ी थी। यादों के साथ दर्द का एक समंदर अंदर उमड़ता रहता है. जेल में किसी बच्ची को देखती हूं तो आरुषि लगती है। आरुषि का मतलब सुबह की किरण होता है। अब कभी उगता सूरज देखती हूं तो उसमें भी आरुषि नजर आती है।"

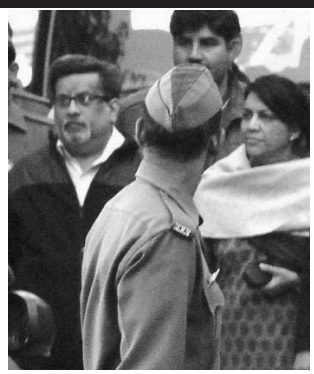

सबूतों के अभाव में आरुषि के मां–पिता को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिहा किया

अगर सीबीआई की दलील थोड़ी देर के लिए मान लें कि आरुषि को नौकर के साथ देखकर बाप ने गुस्से में नौकर को मारा, लेकिन बेटी मर गई..तो एक बार सोचिए कि जिस बाप से उसकी इकलौती बच्ची मारी गई हो वो गुनाह के किस एहसास के साथ जीता होगा. यह जो अपनी बेटी का कातिल होने का एहसास है यह किसी भी उम्र कैद और किसी भी सजाए मौत से ज्यादा बड़ी सजा है और सोचिए कि अगर वो बेगुनाह हों और दुनिया की हर नजर उन्हें बेटी का कातिल समझती होइतो उनके दिल पर क्या गुजरती होगी.. मेरे कहने से थोड़ा सा वक्त निकालिए, अपने दिल पर हाथ रखकर खुद को नुपुर और राजेश तलवार की जगह रखकर उस तकलीफ को महसूस करने की कोशिश कीजिए। आरुषि और हेमराज हत्याकांड मामले में बरी किए गए राजेश और नुपुर तलवार हर 15 दिनों के अंतर में गाजियाबाद की डासना जाकर उन मरीजों को देखेंगे जो दांत की समस्या से पीड़ित हैं. तलवार दंपति पेशे से दंत चिकित्सक हैं. ये दोनों नवंबर, 2013 में निचली अदालत द्वारा दोषी करार दिए जाने के बाद से जेल में बंद हैं. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दोनों को बरी कर दिया। डासना जेल के एक अधिकारी ने बताया कि जेल में रहने के दौरान राजेश और नुपुर तलवार ने कारागार अस्पताल में तकरीबन बंद हो चुके दंत चिकित्सा विभाग को फिर से खड़ा करने का काम किया है. जेल में चिकित्सक सुनील त्यागी ने कहा, ''हम इसको लेकर चिंतित थे कि तलवार दंपति की रिहाई के बाद हमारे दंत चिकित्सा विभाग का क्या होगा।

तलवार दंपति ने भरोसा दिया है कि वे हर 15 दिनों पर यहां आएंगे और दांत की समस्या का सामना कर रहे कैदियों को देखेंगे.'' त्यागी ने कहा कि तलवार दंपति कैदियों के अलावा जेल के कर्मचारियों, पुलिस अधिकारियों और उनके बच्चों का भी उपचार किया था।

उन्होंने कहा, ''तलवार दंपति ने यहां आने के बाद सैकड़ों मरीजों का उपचार किया. ये मरीज उनके उपचार से बहुत खुश हैं.'' तलवार दंपति की रिहाई के बाद दांत से परेशान मरीजों की भीड़ को देखते हुए कारागार अधिकारियों ने गाजियाबाद के एक डेंटल कॉलेज के साथ समझौता किया है. साल 2008 में 14 साल की आरुषि और घरेलू सहायक हेमराज की हत्या कर दी गई थी। आरुषि तलवार दंपति की बेटी थी। (एजेंसी)

खरी-खरी

संतोष मिश्र

आरुषि–हेमराज मर्डर केस में बेगुनाही के बावजूद तलवार दम्पति ने 1417 दिन जेल में काटे। कोर्ट ने इन्हें बाइज्जत बरी किया। जिम्मेदार कौन!

ब्रह्माण्ड में तीन चीजें हैं जिन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता, आत्मा, जागरूकता और प्रेम।

...क्योंकि हम दूसरों की आजादी की इज्जत करते हैं

सत्येंद्र श्रीवास्तव

एपीजे अब्दुल कलाम के जन्मदिन पर विशेष

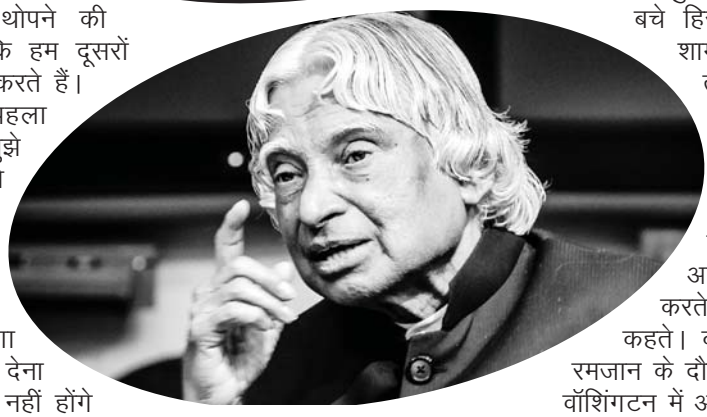

भारत के लिए मेरे तीन विजन है। 3000 साल के इसके इतिहास में दुनिया भर से लोग आए, उन्होंने हम पर हमला किया, हमारी धरती पर कब्जा किया, हमारे दिमाग पर जीत हासिल की। सिकंदर के बाद यूनानी, तुर्क, मुगल, पुर्तगाली, ब्रिटिश, फ्रेंच, डच सभी आए और हमें लूटा। लेकिन हमने किसी देश के साथ ऐसा नहीं किया। हमने किसी पर कब्जा नहीं किया। हमने किसी की धरती, संस्कृति, इतिहास पर कब्जा नहीं किया और न ही उन पर अपने तौर–तरीके थोपने की कोशिश की। क्यों क्योंकि हम दूसरों की आजादी की इज्जत करते हैं।

इसलिए मेरा पहला विजन है आजादी। मुझे लगता है कि भारत को अपना पहला विजन मिला 1857 में, जब हमने आजादी की लड़ाई शुरू की। इसी आजादी की हमें सुरक्षित रखना होगा और इसे खाद–पानी देना होगा। अगर हम आजाद नहीं होंगे तो कोई भी हमारी इज्जत नहीं करेगा।

मेरा दूसरा विजन है विकास। आजादी के बाद से हम विकासशील देश हैं। अब वक्त आ गया है कि हम खुद को एक विकसित देश के रूप में देखें और इस ओर काम करें। जीडीपी के मामले में हम दुनिया के टॉप 5 देशों में हैं। हमारी गरीबी कम हो रही है और हमारी उपलब्धियों को दुनिया भर में सराहा जा रहा है। फिर भी हममें खुद को एक विकसित देश के तौर पर देखने का आत्मविश्वास नहीं है। क्या यह गलत नहीं है।

तीसरा विजन है कि भारत को दुनिया के सामने खड़े होना चाहिए क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो दुनिया में कोई हमारी इज्जत नहीं करेगा। ताकत सिर्फ ताकत की ही इज्जत करती है। हमें एक सैन्य ताकत के तौर पर ही नहीं, आर्थिक ताकत के रूप में भी मजबूत होना चाहिए। दोनों को साथ–साथ चलना चाहिए।

मीडिया इतना निगेटिव क्यों है हम भारतीय अपनी ताकत, अपनी उपलब्धियों पर बात करने में इतना शर्मिंदा क्यों होते हैंध हम महान राष्ट्र हैं। हमारे पास कामयाबी की ढेरों दिलचस्प कहानियां हैं लेकिन हम उन्हें तवज्जो ही नहीं देते। क्यों!

दूध उत्पादन में हम नंबर एक हैं। रिमोट सेंसिंग सैटलाइट्स में हम नंबर एक हैं। गेहूं के उत्पादन में हम दूसरे नंबर पर हैं। चावल के उत्पादन में भी हम दूसरे नंबर पर हैं। और भी लाखों उपलब्धियां हैं लेकिन मीडिया सिर्फ नाकामी की और हादसों की खबरें दिखाने में ही दिलचस्पी दिखाता है।

एक बार मैं तेल अवीव में था और इस्राइली अखबार पढ़ रहा था। पहले दिन बहुत सारे हमले और बम विस्फोट हुए थे। बहुत सारे लोग मारे गए थे।

सिंगापुर में आप सड़क पर सिगरेट के बचे हिस्से नहीं फेंक सकते। आप शाम को 5 बजे से रात 8 बजे तक ऑर्चार्ड रोड पर गाड़ी चलाने के लिए 5 डॉलर देते हैं। फिर रेस्तरां या मॉल में ज्यादा देर रुकने का चार्ज देने के लिए आप फिर से पार्किंग एरिया में आते हैं और अपने स्टेटस का दावा नहीं करते। सिंगापुर में आप कुछ नहीं कहते। कहते हैं क्याध दुबई में आप रमजान के दौरान सरेआम खा नहीं सकते। वॉशिंगटन में आप 55 मील/घंटे की रफ्तार से ज्यादा से गाड़ी चलाने की हिम्मत नहीं करते और न ही ट्रैफिक पुलिस से कहते हैं, श्जानता नहीं, मैं कौन हूंध मैं फलां–फलां का बेटा हूं। ये 100 रुपये थाम और दफा हो जा।श टोक्यो की सड़कों पर आप पान की पीक नहीं थूकते। ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड में खाली नारियल को कूड़े की तय जगह के अलावा कहीं नहीं फेंकते। हम आप की ही बात कर रहे हैं, वही आप जो दूसरे देशों के नियम और कायदों की इज्जत करते हैं और उनका अनुसरण भी करते हैं। लेकिन अपने देश के नियमों का नहीं। आप वही हैं, जो इंडिया की जमीन को छूते ही सिगरेट और पेपर सड़क पर फेंकने लगते हैं। अगर आप किसी अनजान देश में एक ऐसा नागरिक बनकर रह सकते हैं, जो नियमों का पालन करता है तो अपने देश में क्यों नहीं। अमेरिका या जापान में अगर किसी का डॉग सड़क पर पॉटी करता है तो उसे साफ करने उसी इंसान का काम है। क्या हमारे देश में लोग ऐसा करते हैंध रेलवे के गंदे टॉयलेट की शिकायत तो हम करते हैं लेकिन क्या उसे इस्तेमाल करने का तरीका जानते हैंध किसी भी बदलाव की बात पर हम करते हैं कि पूरा सिस्टम बदलने की जरूरत है। फिर इस सिस्टम को कौन बदलेगाध इस सिस्टम को बदलने का जिम्मा सरकार, अधिकारियों, पड़ोसियों का नहीं, बल्कि आपका और हमारा है। हमारे अलावा, कोई और यह काम नहीं कर सकता।

खरी-खरी

संतोष मिश्र

एसी, फ्रिज एवं गाड़ियों से सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है और शायद यही दिल्ली एनसीआर में सबसे ज्यादा उपयोग भी हो रहा है लेकिन बंद क्या हुआ सिर्फ पटाखे की बिक्री।

बड़ा सोचो, जल्दी सोचो, आगे सोचो। विचारों पर किसी का एकाधिकार नहीं है।

सारी जमापूंजी खर्च कर फ्लैट खरीदने वालों के साथ धोखा कब तक?

जब देश की नामी गिरामी कंपनी जेपी ग्रुप ने नोएडा–ग्रेटर नोएडा में रियल एस्टेट में कदम रखा तो कंपनी इसी ध्येय वाक्य के साथ मैदान में उतरी। साल 2008–2009 में जेपी ने जैसे ही नोएडा के एक्सप्रेस वे से सटे पांच सेक्टरों को मिलाकर मेगा टाउनशिप विश टाउन बनाने का एलान किया उसके 30 हजार से ज्यादा फ्लैट रातों–रात बिक गए। दिल्ली–एनसीआर में खुद का घर होने का सपना देखने वालों ने जिंदगी की गाढ़ी कमाई इकट्ठा कर अपनी सारी पूंजी दांव पर लगा दी।

लेकिन जेपी ग्रुप का मंसूबा साफ नहीं था...करार के मुताबिक तीन साल में लोगों को फ्लैट तैयार कर देने की बजाए कंपनी ने खरीदारों से मिले पैसों को दूसरे प्रोजेक्ट में लगाना शुरु कर दिया...जेपी इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण हो गया, जेपी हॉस्पिटल तैयार हो गया, जेपी स्कूल बन गए। यमुना एक्सप्रेस वे पर कार रेसिंग ट्रैक बन गए, और लोगों को समय पर घर देने का सपना खटाई में पड़ गया।

4 साल बीतने के बाद घर नहीं मिलने से परेशान लोगों ने जेपी ग्रुप के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करना शुरु कर दिया..हर महीने किसी न किसी दिन दफ्तर के बाहर नारेबाजी होने लगी और कंपनी किसी बड़े अधिकारी को भेजकर लोगों से झूठे वादे करती रही। 5 साल बाद करीब 5000 लोग किस्मत वाले रहे जिन्हें पैवेलियन, क्लासिक और कॉसमॉस में घर मिल गया। लेकिन बाकी के लोगों की मुसीबत बरकरार रही। आलम ये है कि 9 साल बीत जाने के बाद भी 30 हजार से ज्यादा लोगों को फ्लैट नहीं मिल पाया है। यकीन मानिए इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बैंक से 10 साल के लिए लोन लिया था, यानि ऐसे लोगों का अगले साल लोन तो खत्म हो जाएगा लेकिन उन्हें फ्लैट हाथ नहीं लगेगा क्योंकि उनका घर अब भी तैयार नहीं है।

इस साल अप्रैल महीने में जब जेपी इन्फ्राटेक के एमडी और तीन अफसरों के खिलाफ निवेशकों ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया तो गिरफ्तारी के डर से कंपनी ने आनन–फानन में समझौते का रास्ता तैयार कर लिया। जेपी ग्रुप ने कहा कि वो अगस्त 2017 और मार्च 2018 के बीच 6000 फ्लैट तैयार कर खरीदारा. को सौंप देगी। कंपनी ने यहां तक कहा कि अगले 3 साल में उसकी 32000 फ्लैट देने की योजना है।

गुस्साए खरीदारों को शांत करने के लिए जेपी ग्रुप ने क्या दलील दी थी ये भी जान लीजिए, जेपी ने कहा कि उसे दोबारा काम शुरु करने और प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए 9000 करोड़ रुपए की जरुरत है। जेपी ने कहा कि वो 7000 करोड़ रुपया निवेशकों और खरीदारों से इकट्ठा कर लेगी। बाकी 2000 करोड़ बैंक से कर्ज लेगी। जेपी के मुताबिक उसे बैंक 1700 करोड़ रुपए कर्ज देने को तैयार भी हो गये।

जेपी सिर से लेकर पैर तक कर्ज में डूबी है इसका अंदाजा सभी को था...लेकिन कंपनी अचानक दिवालिया घोषित हो जाएगी ये किसी को मालूम नहीं था। हजारों निवेशकों को तब झटका लगा जब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिइब्यूनल की इलाहाबाद बेंच ने आईडीबीआई बैंक की याचिका को स्वीकार करते हुए जेपी इंफ्राटेक को दिवालिया कंपनियों की सूची में डाल दिया। 8,365 करोड़ रुपये के कर्ज में फंसी कंपनी को अपनी वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए 270 दिनों का समय मिला है। अगर इस दौरान कंपनी की स्थिति नहीं बदली तो उसकी संपत्ति जब्त हो जाएगी। कंपनी पर अकेले आईडीबीआई बैंक का 4,000 करोड़ रुपये बकाया है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिइब्यूनल का आदेश आने के साथ ही कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सस्पेंड हो चुके हैं।

जरा सोचिए क्या होगा उन 32 हजार लोगों का जिन्हें 9

बुरी संगत में रहने से अच्छा अकेले रहना।

साल बीत जाने के बाद भी घर नहीं मिला...एक तरफ बैंक की ईएमआई दूसरी तरफ घर का किराया...उनकी तो कमर ही टूट गई। सवाल उठता है कि आखिर इन 32 हजार परिवारों को डूबने से बचाने कौन आएगा?

आपको बता दें कि पिछले महीने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद माना था कि बिल्डरों की मनमानी के कारण नोएडा और ग्रेटर नोएडा में करीब डेढ़ लाख खरीदारों को उनका घर नहीं मिला है। योगी आदित्यनाथ ने साफ–साफ कहा था कि अगर बिल्डरों ने जल्द लोगों को घर नहीं दिया तो सरकार उनके खिलाफ एक्शन लेगी। योगी जी आपने जिन डेढ़ लाख खरीदारों की परेशानियां बताई थी उनमें करीब 30 हजार लोग जेपी के सताए हुए हैं।

योगी जी आज अगर जेपी में फ्लैट खरीदने वाले परेशान हैं तो कहीं न कहीं इसके लिए नोएडा अथॉरिटी भी जिम्मेदार है। एक और सवाल क्या बैंकों की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। जेपी हो या आम्रपाली या कोई और बिल्डर सभी की कहानी एक जैसी है..देर से नींद से जागी सरकार ने रेरा कानून तो बना दिया लेकिन उन लाखों खरीदारों को न्याय दिलाने के लिए कुछ भी नहीं किया जिन्हें बिल्डरों ने कहीं का नहीं छोड़ा।

रियल एस्टेट सेक्टर में किस बड़े पैमाने पर धांधली हो रही है ये सभी जानते हैं। इस खेल में बिल्डरों के साथ बैंकों की भी मिलीभगत है और नेताओं के साथ अफसरों की भी। इनकी ताकतवर लॉबी के आगे कोई नहीं टिकता ? मैं इसे धोखाधड़ी नही मानता... मेरी नजर में जब तक जिम्मेदार लोगों को आपराधिक षड्यंत्र के तहत गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक देश में ये सिलसिला चलता रहेगा। एजेंसी

पाप बढ़ा जब–जब धरती पर आये बारंबार

राजेश्वर राय 'दयानिधि'

पाप बढ़ा जब–जब धरती पर आये बारंबार
एक बार फिर इस धरती को है तेरी दरकार
दयानिधि अब तो लो अवतार.....!

कवि
चार कवि आ धमकें तो बीवी तबियत से धोती है,
सो मेरी महफिल अब कुछ मय्यत के जैसी होती है,
मुझको–मेरे जानिसारों को सिर्फ निठल्ला समझ के वो–
उन्हें देखते गुर्रा करके अपना आपा खोती है,
मुक्का सहकर मेहरारू का कवि मजमा लगवाता हूँ –
कारण, कवि बनने की खुजली से हूँ मैं लाचार।
दयानिधि अब तो लो अवतार.....!

कवि
चाय–नाश्ता–पेप्सी–कोला–दारू–लंच कराता हूँ
तब मुश्किल से कविता सुननेवाला फाँस के लाता हूँ
उस निरीह को अपनी गर्दभ धुन में गजलें चेंप सभी–
फिर दोबारा आने खातिर सौ ढंग से फुसलाता हूँ
कोमा में वे चले गये या तो श्इहबासश में भर्ती हैं–
मेरी शायरी के सदमें का जो हो गये शिकार।
दयानिधि अब तो लो अवतार.....!

कवि
शायर बनने की खुजली मुझको है उभर गयी जब से,
घर की अर्थव्यवस्था दरहम–बरहम मेरी हुई तब से,
दर–दर गीत सुनाने की चाहत में यायावर होकर–
फटहे धोती–चप्पल में हो गया फटीचर हूँ कब से,
मेरे जैसा शायर अब तक नहीं धरा पर आया है–
यही सोच खुद पर आशिक हो शेखी रहा बघार।
दयानिधि अब तो लो अवतार.....!

कवि
मकड़ी के जालों जैसी कविताएँ रच के लाते हैं,
सुननेवालों के मन का मर्दन कर खूब सुनाते हैं,
दो ताली बज जाय वाह झूठी भी कोई कर दे तो–
कवि महोदय जहाँ भी देखो वहीं शुरू हो जाते हैं,
सौ में से निन्यानवे तो बस अनल राग में गाते हैं –
जिसको सुन श्रोता का जलता गुप्त जगह का बार।
दयानिधि अब तो लो अवतार...!

कवि
सनद–मेडल खातिर भी पापड़ कई बेलने पड़ते हैं,
हुक्मरान–नौकरशाहों के ताप झेलने पड़ते हैं,
गैरत गिरवी रखकर स्तुति–निंदा की उंगली पकड़े–
चापलूस बन जोड़–तोड़ के दॉव खेलने पड़ते हैं,
अपने को बस प्यार–प्रशंसा मिल जाये वो बेहतर है–
बाकी सनद–मेडल जाये अपनी माँ के भगद्वार।
दयानिधि अब तो लो अवतार...!

खरी-खरी

संतोष मिश्र

सरकारी प्रतिष्ठान बेचकर निजी हाथों में दे दिया जाता है तो फिर सांसद एवं विधायक को भी नीलामी से निजी हाथों में क्यों न दे दिया जाए जिससे सरकार को वित्तीय लाभ होगा।

स्वस्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा सम्बन्ध है।

"न्यू इंडिया" में बुजुर्गों को क्या मिला?

एक बार घर से दफ्तर जाते समय एक अजीब घटना हुई। मैं कैब से जैसे ही नोएडा में अपने दफ्तर के पास उतरा...गाड़ियों की शोर के बीच सड़क पर कार में सवार दंपत्ति की आवाज मेरे कानों में गूंज उठी। मैं जब उनके पास चलकर पहुंचा तो देखा चिलचिलाती धूप में बुजुर्ग दंपत्ति परेशान थे और मदद मांग रहे थे। जब मैंने उनकी परेशानी पूछी तो उन्होंने कहा बेटे मेरे कार की ईंधन अचानक खत्म हो गई और मुझे पेट्रोल की दरकार है। मैंने किसी तरह गाड़ी को धक्का देकर सड़क के एक किनारे पहुंचाया और फिर अपने फोन से मारुति रोड साइड हेल्पलाइन नंबर पर फोन लगाया।

मैंने फोन पर महिला कर्मचारी को सारा वाक्या सुनाया और उससे मदद मांगी। लेकिन मैं और वहां मौजूद बुजुर्ग दंपत्ति तब हैरान रह गए जब कंपनी की ओर से कहा गया कि पेट्रोल के साथ वहां टेक्नीशियन भी जाएगा और उसके लिए आपको तेल की कीमत के साथ–साथ 575 रुपए चुक. ाने होंगे। मैंने कंपनी की महिला कर्मचारी से कहा कि देखिए दोनों बुजुर्ग दंपत्ति हैं और उनके पास मारुति की ही कार है और आपको उनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन उसने साफ मना कर दिया।

मेरे पास अपनी गाड़ी नहीं थी लिहा. जा मैं चाहकर भी उनकी कोई मदद नहीं कर सका। दफ्तर के पास पहुंचकर दफ्तर जाने में देर हो रही थी। लेकिन मुझसे उनकी परेशानी देखी नहीं जा रही थी। मैंने बुजुर्ग महिला को सड़क किनारे उनकी कार में बैठने को कहा और उनके पति को 2 किलोमीटर दूर पेट्रोल पंप पहुंचाने की तरकीब सोचने लगा। मेन रोड पर कोई रिक्शा नहीं चलती लिहाजा मैं उनका हाथ पकड़कर सड़क की दूसरी ओर पहुंचा और फिर रिक्शे की तलाश करने लगा। करीब 5 मिनट चलने के बाद मुझे एक रिक्शावाला नजर आया। मैंने रिक्शेवाले से कहा कि वो अंकल को पेट्रोल पंप ले जाए और फिर वहां से पेट्रोल दिलाकर उन्हें गाड़ी तक वापस छोड़ दे। रिक्शावाला राजी हो गया और फिर मैं बुजुर्ग को अलविदा कह अपने दफ्तर आ गया।

दफ्तर में आने के बाद मेरा ध्यान उन्हीं बुजुर्ग दंपत्ति पर था। दोनों की उम्र 75 के पार थी। मैं सोच रहा था कि आखिर हमारे देश में बुजुर्गों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जाता है। अगर वित्त वर्ष 2016–17 की बात करें तो देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड का मुनाफा 1700 करोड़ रुपए से ज्यादा का रहा। सवाल उठता है जो कंपनी इतना मुनाफा कमाती हो उसकी अपनी ग्राहकों के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। खासकर उन बुजुर्गों के लिए जो सड़क पर अकेले निकलते हैं।

ये तो दिन की बात थी जरा सोचिए अगर बुजुर्ग दंपति के साथ आधी रात को ये वाकया हुआ होता तो क्या होता? देश में कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) व्यवस्था की शुरूआत तो हो गई है लेकिन ज्यादातर बड़ी और ब्लू चिप कंपनियां सीएसआर पर मुनाफे का न्यूनतम दो फीसदी खर्च करने में विफल रही हैं। देश की ज्यादातर कंपनियां सीएसआर के नाम पर या तो किसी एनजीओ के साथ जुड़ जाती हैं या फिर सरकार की किसी कल्याणकारी योजना का हिस्सा बनकर अपनी आमदनी का बहुत छोटा सा हिस्सा खर्च कर अपनी पीठ थपथपा लेती हैं।

देश में ग्राहकों की हितों की रक्षा के लिए कानून तो बने हैं लेकिन कंज्यूमर कोर्ट का फैसला आने में इतना वक्त लग जाता है कि ज्यादातर लोग हारकर बैठ जाते हैं। कंपनियों को ये समझना होगा कि पैसा कमाने के साथ–साथ उन्हें सामाजिक दायित्व भी निभाना होगा। युवाओं के इस देश में हर बारहवां शख्स बुजुर्ग है और करीब–करीब आधे बुजुर्गों को अपने सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। पीएफआरडीए की रिपोर्ट के मुताबिक देश में बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है और 2050 तक हर पांचवां शख्स 60 साल से ऊपर का होगा। सवाल उठता है कि क्या हमारी सरकार ने इसके बारे में कुछ सोचा है। मामला सिर्फ उस बुजुर्ग दंपति का नहीं। अगर हम अपने देश में बुजुर्गों के लिए बेहतर माहौल नहीं बना सकते तो फिर 'न्यू इंडिया' बनाकर ही क्या हासिल कर लेंगे?

साभार : पीएस

खरी-खरी

संतोष मिश्र

पॉलीथिन की बिक्री पर बैन होता है लेकिन उसकी फैक्टरी में प्रोडक्शन जारी।

गीत –
बनके सुर संगीत, अधर पर आओ तुम !
अक्षर अक्षर गीतों के बन जाओ तुम !
सारे गम सारी खुशियाँ दिखला दिखलाकर,
हँसे वेदना मौन संग इठला इठलाकर,
मधुर राग जीवन की ऐसी गाओ तुम !
अक्षर
पहन नये परिधान बसंती रंग मिले सब,
बेला हरसिंगार सभी हैं पुष्प खिले अब,
मन उपवन को आकर जरा सजाओ तुम !
अक्षर
गाती रात सितारों के सँग मधुर रागिनी,

छाया त्रिपाठी ओझा

अक्षर

फैली है वसुधा से नभ तक शुभ्र चाँदनी,
इन किरणों से कुछ पल चलो नहाओ तुम !
अक्षर
जब खोना पाना जीवन है तो कैसा डर,
पास रहो मेरे या मुझसे दूर कही पर,
खुशबू बन कर अन्तर्मन महकाओ तुम !
अक्षर
आज नही हैं साथ उजाले अब अपने
गहन अँधेरे लिए हृदय में बैठे सपने
आकर कुछ खुशियों के दीप जलाओ तुम !

पहले वो आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर वो आप पर हँसेंगे, फिर वो आप से लड़ेंगे, और तब आप जीत जायेंगे।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की संपत्ति पर भू–माफियाओं का कब्जा

संतोष मिश्र

स्वर्गीय ठाकुर टीकम सिंह राजा भूमसिंह के वंशज व श्री राजा राम सिंह रावल के सबसे छोटे पुत्र थे। इनका जन्म 7 जून 1866 में ग्राम धूम तहसील सिकन्दराबाद, जिला बुलंदशहर में हुआ था। जो अब गौतमबुद्धनगर जिले की दादरी तहसील में आ गया है। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद आगे की शिक्षा ग्रहण करने के लिए इन्होंने खुर्जा के राजकीय विद्यालय में प्रवेश लिया लेकिन इनका हृदय अपनी शिक्षा में कम तथा मातृभूमि की परतंत्रता की बेड़ियों को तोड़ भारत माता को स्वाधीनता दिलाने में अधिक लीन था। बचपन से ही उनकी आत्मा स्वाधीनता प्रेम से ओतप्रोत थी। अतः किशोरावस्था से ही उन्होंने अंग्रेजी सरकार को हिलाने वाली एक क्रांतिकारी संस्था में भाग लेकर सक्रिय रुप से कार्य करना शुरु कर दिया था। मथुरा के पास वृंदावन के कपठिया कुन्ज में श्री मोहनी सन्यासी रहते थे जो ईश्वर भक्त कम और देशभक्त अधिक थे। उन दिनों कपठिया कुंज उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारियों का मुख्य केंद्र था। यह केंद्र आजाद भगत सिंह, राजगुरु आदि भारत के सपूतों से भी बराबर सम्पर्क बनाए रखता था। टीकम सिंह तथा इनके अन्य साथी सन्याजी जी की बनाई योजनाओं के अनुसार सरकारी खजाने लूटने व तोड़फोड़ आदि की घटनाओं द्वारा ये युवक अंग्रेजी सरकार के नाक में दम किए रखते थे।

स्वतंत्रता सेनानी की याद में बना स्कूल को आज भी स्थाई मान्यता नहीं मिल पाई

कई शिकायतों के बावजूद शासन–प्रशासन सिर्फ खाने एवं खानापूर्ति में मस्त

जनवरी 1920 में टीकम सिंह को खुर्जा छात्रावास से गिरफ्तार करके आगरा जेल में भेज दिया गया। इनके खिलाफ गवाह व सबूत की कमी के कारण कोई जुर्म साबित न हुआ तो इनको 3 माह की हवालात के बाद छोड़ दिया गया। इसके बाद टीकम सिंह ने खुर्जा छोड़कर मेरठ के देवनागरी विद्यालय में प्रवेश ले लिया। दसवीं तक पढ़ने के बाद इन्होंने पढ़ाई से मुंह मोड़ लिया और देश की आजादी की लड़ाई की ठान ली।

16 जून 1921 को ठाकुर मंगल सिंह की बेटी सत्यवती से उन्होंने विवाह किया। वैवाहिक जीवन भी टीकम सिंह के इरादे को डिगा न सका। उनकी पत्नी भी उनके आदर्शों की पूजा करते हुए उनको हर सम्भव सहयोग देती रही। स्वतंत्रता संघर्ष में टीकम सिंह का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था लेकिन वह हर कठिनाई का सामना मुस्कुराते हुए करते रहे तथा गांवों व शहरा. में जाकर स्वाधीनता संग्राम की ज्योति जलाते रहे।

26 जून 1922 को समस्त बरेली शहर में क्रांतिकारियों द्वारा अंग्रेजी सरकार के अफसरों व पुलिस वालों पर गोली कांड में टीकम सिंह के खिलाफ मजिस्ट्रेट ने वारंट जारी कर दिया। बुलंदशहर के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने 20 सितम्बर 1922 को टीकम सिंह को गिरफ्तार कर लिया और बुलंदशहर जेल भेज दिया गया। इनके पिता द्वारा दी जमानत की अर्जी भी अंग्रेजी हुकुमत ने अस्वीकार कर दी। ढाई माह बाद 5 सितम्बर 1922 को पुलिस प्रशासन ने विभिन्न झूठे केस लगाकर फांसी की सजा दे दी। किन्तु इनकी अल्प आयु को देखते हुए अंग्रेजी सरकार ने सजा ए मौत की बजाए आजन्म कारावास तथा 250 रुपए जुर्माना देने का निर्णय लिया। इस दौरान टीकम सिंह बुलंदशहर, बरेली, लखनऊ, फैजाबाद व इलाहाबाद की नैनी जेल में रहे।

इस दौरान टीकम सिंह ने लखनऊ जेल में अंग्रेजों के खिलाफ आमरण अनशन किया जिसमें वह सफल न हो सके। जेल यात्रा के दौरान सरकार विरोधी गतिविधियों के कारण उनको जेल में अत्यंत कठोर यातनाएं झेलनी पड़ी। 13 जून 1934 को वह जेल से रिहा होकर अपने गांव घूम आ गए। जेल की कठोर यातनाओं ने उनके शरीर को जर्जर बना दिया था। इसके बावजूद उनकी आत्मा स्वाधीनता संग्राम में फिर से कूद पड़ने के लिए तत्पर थी लेकिन शारीरिक अस्वस्थता के कारण उनको क्रांतिकारी गतिविधियां त्यागनी पड़ी लेकिन वह यथासम्भव कांग्रेस के कार्यों में सहयोग देते रहे।

देश को आजादी मिलने के बाद उनको ग्राम पंचायत घूम का प्रधान मनोनीत किया गया। गांव प्रधान के रुप में भी उन्होंने अपने व इलाके के दूसरे गांवों में भी अनेक समाज सुधार कार्य किए। टीकम सिंह प्रगतिशील विचारों के स्वाभिमानी व्यक्ति थे तथा जातिवाद के कट्टर विरोधी थे। इसी कारण उनको गरीब व पिछड़ी जाति के लोगों का भी अधिक स्नेह व सहयोग प्राप्त था। समाजवादी पार्टी के नेता आचार्य नरेंद्र देव व अशोक मेहता के दबाव में आकर अपने कई समाजसेवी साथियों के साथ उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। टीकम सिंह के एक मित्र डाक्टर कंकर लोकसभा का चुनाव जीतकर सूचना एवं प्रसारण मंत्री बने। मंत्री बनने के बाद भी इनके मित्र इनके प्रति गहरा स्नेह रखते थे और उनके ऊपर कांग्रेस में लौटने का दबाव बनाते रहते थे। बाद में टीकम सिंह लाल बहादुर शास्त्री के दबाव में आकर वापस कांग्रेस में शामिल हो गए इसके बाद उन्होंने कोई भी पद लेने से साफ इनकार कर दिया। राष्ट्र के लिए अपना सारा जीवन उत्सर्ग करने वाले इस अमर सिपाही का स्वर्गवास 18 जनवरी 1954 को हुआ। उनकी चिता पर भारत सरकार की ओर से डाक्टर कंसकर ने तथा उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से ठाकुर वलभद्र सिंह ने पुष्पहार चढ़ाए तथा महान क्रांतिकारी को श्रद्धांजलि अर्पित की। टीकम सिंह का स्वर्गवास होने के बाद उनकी पत्नी सत्यवती रावल को सर्वसम्मति से प्रधान चुना गया। इसके बाद वह कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा के लिए दादरी क्षेत्र से 1957–62 सत्र के लिए जिले में सबसे अधिक वोटों से निर्वाचित घोषित हुईं। स्व. सत्यवती 1950 से 1970 तक जिला परिषद की सदस्य भी रहीं। स्व. सत्यवती रावल का कहना था कि पेंशन व शेष सम्पत्ति का अधिकांश भाग इसको चलाने में खर्च हो जाता है लेकिन दुर्भाग्यवश मेरे भरसक प्रयत्न करने के बाद भी इस स्कूल को मैं स्थाई मान्यता नहीं दिला सकीं। सत्यवती रावल की मृत्यु के बाद उनकी सम्पत्ति एवं स्कूल पर भू–माफियाओं का कब्जा हो गया और शासन प्रशासन खाने–पीने में मस्त है। **विशेष जानकारी एवं सहायता के लिए संपर्क करें। :– मो–: 9810960818**

जब तक गलती करने की स्वतंत्रता ना हो तब तक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है

कैसा है दिवाली पर आपका भाग्य

मेष

इस दवाली आपकी राशि अढैया शनि से मुक्त हो रही है। व्यवसाय में अच्छे परिणाम मिलेंगे तथा कारोबार फैलाने में मदद मिलेगी। यदि पत्रिका में शनि ठीक नहीं है तो प्रभाव कम रहेगा। इच्छापूर्ति होगी। प्रतिष्ठित व्यक्ति सहायता करने स्वयं आगे आएंगे। अचानक बड़ा लाभ होने की संभावना है। धन–संपत्ति– परंपरागत साधनों में बदलाव होंगे।

वृषभ

स्वतंत्र रूप से व्यवसाय प्रारंभ करने की योजना बनेगी। वर्ष मध्य में बाधाएं आएंगी। बड़ों की सलाह मानकर चलें, सफलता हासिल होगी। एजेंसी के कार्य सफल रहेंगे। व्यावसायिक समस्याएं रहेंगी। संपत्ति का विस्तार होगा। नई संपत्ति पाने या खरीदने के योग हैं। भूमि–भवन का विस्तार होगा। पैतृक संपत्ति मिल सकती है। परिवार में मंगल कार्य के योग हैं।

तुला

इस वर्ष गोचर ग्रह की अनुक. लता नहीं रहेगी। रुके कार्यों की सफलता के लिए विशेष प्रयास करना पड़ेंगे। अधिक मेहनत व ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। वर्ष के उत्तरार्द्ध में अनुकूल परिणाम आएंगे। पदोन्नति के योग भी तभी मिलेंगे। रोजगार प्राप्ति होगी। नई योजनाएं बनेंगी जिन्हें लागू करना सरल नहीं होगा। पुरानी लेनदारी प्राप्त होगी। रुका हुआ धन मिलेगा।

कर्क

यह वर्ष गोचर का मिश्रित फल देगा। कारोबार –व्यवसाय की बाधाएं दूर होंगी। परिश्रम अधिक होगा, फल कम प्राप्त होगा। कार्य के नए क्षेत्र प्राप्त होंगे। प्रयास करने पर अपना स्थान बनाने में सफलता प्राप्त होगी। कार्यक्षेत्र में मंदी तथा उपलब्धता की कमी रहेगी। बाधा संभव है। स्थायी संपत्ति प्राप्त होने तथा बढ़ने के प्रबल योग हैं।

सिंह

कारोबार–व्यवसाय में विशेष प्रयास करना पड़ेंगे। नई जवाबदारी निभाना पड़ेगी। बाहरी सहयोग से समस्या निवारण होगा। जोखिम न लें। विवेक का प्रयोग करें। नए अधिकार की प्राप्ति होगी। पदोन्नति मिल सकती है। परिश्रम अधिक होगा। इस दिवाली संपत्ति की मरम्मत, रखरखाव व नवीनीकरण पर अनचाहा भार बढ़ेगा।

कन्या

इस दिवाली शनि अढैया प्रारंभ हो रहा है। कारोबार, उद्योग व व्यवसाय में बड़ा व्यय करना पड़ सकता है। परिश्रम अधिक होगा। व्यवसाय में कठिनाई संभव हैं। क्षमता से अधिक व्यय में जोखिम न लें। विवेक का प्रयोग करें। परिणाम जल्दी नहीं दिखाई देंगे।संपत्ति की देखरेख, मरम्मत, निर्माण आदि में बड़ा व्यय होगा। बीच–बीच में कठिनाई भी होगी।

वृश्चिक

यदि ग्रह योग अच्छे हैं तो चहुंमुखी विकास होगा। उत्तरदायित्व बढ़ेंगे। विशेष जवाबदारियां निभाना पड़ सकती हैं। अति विश्वास व पूर्वाग्रह से मुक्त होना लाभकारी रहेगा। कारोबार में वृद्धि होगी। एकाधिक संपत्ति की खरीदी व प्राप्ति के योग हैं। व्यावसायिक भूमि–भवन में वृद्धि होगी। वित्तीय व्यवस्था सुधरेगी तथा कारोबार में अधिक धन लगा पाएंगे।

कुंभ

इस दिवाली उतरती हुई साढ़े साती है। स्थायी परिवर्तन होने की संभावना है। जल्दी–जल्दी घटनाएं घटेंगी। अनचाहे बदलाव व मतभेद होंगे। वर्षारंभ में कुछ ठीक नहीं रहेगा। उत्तरार्द्ध में अनुकूलता आएगी। व्यापार– व्यवसाय में स्थान बदलना पड़ सकता है या व्यवसाय परिवर्तन संभव है।वित्तीय बाधाएं आएंगी। कार्य के बड़े उद्देश्यों पर अनचाहे खर्च बढ़ेंगे।

मिथुन

साढ़े साती शनि का प्रभाव हृदय में रहेगा। कार्यों में बाधा नहीं होगी तथा कार्य सुचारु रूप से चलेंगे। कारोबारी उन्नति होगी तथा मान–प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कुछ समस्याएं आएंगी भी, लेकिन निदान समय पर होगा। वर्षारंभ में तनाव की स्थिति बनेगी। साझेदारी में विशेष रखने की आवश्यकता है। तनाव होगा। स्थायी संपत्ति का विस्तार होगा। व्यक्तिगत तथा कारोबारी संपत्ति दोनों में वृद्धि होगी।

मकर

इस दिवाली साढ़े साती लग रही है जिसके प्रभाव से कारोबार–व्यवसाय में तरक्की होगी। रुके कार्य बनेंगे। कारोबार का विस्तार प्रतिद्वंद्वी हट जाने या समझौता करने से होगा। उद्योग के नवीनीकरण पर व्यय लाभ में वृद्धि करेगा। बीच–बीच में कठिनाई होगी लेकिन निदान समय पर होगा। नौकरी में पदोन्नति होगी। नए आय के स्रोत मिलेंगे। घर–परिवार व कार्यक्षेत्र में बड़ा व्यय होगा।

कुंभ

इस दिवाली शनि शुभता प्रदान कर रहे हैं। व्यवसाय–कारोबार में विशेष उन्नति के योग बन रहे हैं। कारोबारी यात्राएं दूर तथा सफल रहेंगी। अपनी क्षमता का पूरा दोहन करने का समय है। चहुंमुखी विकास होगा। नौकरी के क्षेत्र में विशेष कार्य अधिकार मिलने के योग हैं जिसमें सफलता प्राप्त होगी। आय के नए स्रोत प्राप्त होंगे। नई संपत्ति खरीदी व पुरानी संपत्ति के विस्तार होंगे।

मीन

यह वर्ष उत्तम फलदायक रहेगा। व्यवसाय व कारोबार में सफलता मिलेगी। कारोबा. री उन्नति दूसरों के लिए आदर्श बनेगी। नौकरी में मनमाफिक पदोन्नति के योग हैं। पुरानी योजनाएं साकार होंगी। कारोबारी सहयोग प्राप्त होंगे। साझेदारी में मतभेद संभव है। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। धन एकत्रित करने में सफलता प्राप्त होगी। बुद्धिबल से आय में वृद्धि होगी। संपत्ति में वृद्धि होगी।

क्या कानून में गोहत्या के लिए मानव–हत्या का प्रावधान है?

आलोक सोलंकी

देश– विदेश की कुछ घटनाएं इतनी बड़ी खबरें बन गईं कि सर्वोच्च न्यायालय के दो महत्वपूर्ण फैसलों पर जनता का जितना ध्यान जाना चाहिए था, नहीं गया। इन दो फैसलों में से एक है गोरक्षकों के बारे में और दूसरा है नेताओं की अंधाधुंध बढ़ती हुई दौलत के बारे में। इन दोनों फैसलों से अदालत ने राज्य सरकारों और केंद्र सरकार की जमकर खिंचाई की है। ये दोनों फैसले यह बताते हैं कि जब राज्य नामक संस्था अपना कर्तव्य निभाने से चूकती है तो न्यायपालिका को उसे झिंझोड़कर जगाना ही पड़ता है। देश में यह किसे पता नहीं है कि आए दिन गोरक्षा के नाम पर निर्दोष लोगों की हत्या कर दी जाती है, उन्हें निर्ममतापूर्वक पीटा जाता है और उनके साथ लूट–पाट भी की जाती है लेकिन राज्य सरकारें कोई ऐसा कठोर कदम नहीं उठा रही हैं, जिससे इन तथाकथित गोरक्षकों के दिल में डर पैदा हो सके। हाल ही में भारत के कई राज्यों में ऐसी 66 घटनाएं हुई हैं, जिनके दौरान गोरक्षकों ने सर्वथा निर्दोष लोगों की हत्या भी कर दी है।

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वे अपने हर जिले में एक–एक ऐसा वरिष्ठ पुलिस अफसर नियुक्त करें, जिसका काम यही हो कि वह इन गोरक्षकों के विरुद्ध तुरंत और सख्त कार्रवाई करे। इस संबंध में अदालत इतनी मुस्तैद है कि उसने राज्यों को एक सप्ताह की मोहलत दी है और उनसे कहा है कि वे बताएं कि उन्होंने क्या कदम उठाया है। कानून और व्यवस्था को बनाए रखना राज्यों का काम है, अदालतों का नहीं। पुलिस अफसरों को कहीं लगाना, बदलना, हटाना– यह भी राज्य–सरकारों का काम है लेकिन अदालत को इस बारे में सख्त निर्देश देने पड़ें यह किस बात का सूचक है ? क्या इसका नहीं कि हमारा राज्यतंत्र ठीक से काम नहीं कर रहा है ? यदि हमारी सरकारें सतर्क होतीं तो क्या मुहम्मद अखलाक, जुनैद खान और पहलू खान की हत्याएं हो सकती थीं ? इन तीनों हत्याओं में दोष किसका है ? हत्यारों का, जिन्होंने इन तीनों व्यक्तियों को गोमांस रखने या गोहत्या के शक में मौत के घाट उतार दिया। सिर्फ शक पर ! पहली बात तो यह कि जिन राज्यों में गोवध–निषेध का कानून है, वहां निश्चित रुप से गोवध एक अपराध है। अपराधी को दंड जरुर मिलना चाहिए लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि कोई भी सड़क छाप व्यक्ति या भीड़ को उस अपराधी को दंड देने का अधिकार है। देश में कानून का राज है या अराजकता है ? इसके अलावा क्या कानून में गोहत्या के लिए मानव–हत्या का प्रावधान है ? एक पशु के नाम पर एक मनुष्य की हत्या कर देना क्या अपने आप में पशुता नहीं है ? गो सेवा और गोरक्षा तो परम पवित्र कर्तव्य है लेकिन उसके नाम पर नर–हिंसा में कौन सी मनुष्यता है, कौनसा हिंदुत्व है ?

गोरक्षा के नाम पर गुंडई करने वाले लोग कौन हैं ? इन लोगों की भर्त्सना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कर ही चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर चुके हैं। इन दुष्टों के लिए संघ और भाजपा को जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं है। हां, राजनीतिक दुष्प्रचार के लिए इस पैंतरे का दुरुपयोग जरुर किया जा सकता है। ये गोरक्षक वे हैं, जिन्होंने कभी भूखी गायों को रोटी तक नहीं डाली है, जिन्होंने तड़फ–तड़फकर गौशालाओं में मरती गायों को बचाने के लिए पत्ता भी नहीं हिलाया है और जिनके दिलों में पशुओं के लिए तो क्या, मनुष्यों के लिए भी करुणा का कोई भाव नहीं है। ये लोग इतने कमअक्ल लोग हैं कि इन्हें यह भी पता नहीं होता कि वे जिसे गोमांस समझ रहे हैं, वह क्या है ? वह बकरी का, भेड़ का या भैंस का मांस तो नहीं है ? इसके बावजूद वे निरंतर दनदनाए जा रहे हैं। इसका कारण क्या हो सकता है ? इसका एक कारण तो यह हो सकता है कि वे यह मानकर चल रहे हैं कि आजकल सरकार हिंदुत्ववादियों की है और गोरक्षा हिंदुत्व का प्रमुख स्तंभ है। इसलिए वे कुछ भी कर सकते हैं। दूसरा, वे यह देख रहे हैं कि इन अपराधी गोरक्षकों को न तो समाज दंडित कर रहा है और न ही अदालतें। इस स्थिति का फायदा वे लोग भी उठा रहे हैं, अपराध ही जिनका पेशा है।

इन लोगों के साथ अब सरकारों को इतनी कठोरता से पेश आना चाहिए कि भावी हत्यारों की हड्डियां कांप उठें। सरकार से भी ज्यादा इस मामले में हमारे समाज को सक्रिय होने की जरुरत है। यह संतोष की बात है कि पिछले दिनों जब अखलाक, पहलू, जुनैद की हत्याएं हुईं तो उनके विरुद्ध प्रदर्शन करने वाले 99 प्रतिशत लोग हिंदू ही थे। गोरक्षा के नाम पर हिंदू दलितों की भी हत्याएं कम नहीं हुई हैं। इन हत्याओं को रोकने के लिए यह भी जरुरी है कि देश में गोसेवा का वास्तविक माहौल बनाया जाए। यदि बांझ, बूढ़ी और दुग्धहीन गायों को पालने का व्रत हमारे देशवासी ले लें तो गोवध अपने आप रुक जाएगा। अदालतों को भी सरकारों के कान नहीं उमेठने पड़ेंगे। सर्वोच्च न्यायालय का दूसरा फैसला भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। उसने केंद्र सरकार को एक हफ्ते की मो. हलत दी है और कहा है कि सारे चुने हुए नेताओं की चल–अचल दौलत का हिसाब वह उजागर करे। अभी तक सभी सांसदों और मंत्रियों तथा उनके परिवारवालों की दौलत का हिसाब न तो आयकर विभाग के पास है और न ही सरकार के पास ! लोक प्रहरी संस्था ने अदालत में अपनी याचिका लगाते समय बताया कि कुछ सांसदों की दौलत पिछले पांच साल में दुगुनी हो गई, कुछ की पांच गुनी हो गई, कुछ की 12 गुनी हो गई और कुछ की 21 गुनी हो गई। यह तो वह दौलत है, जो उन्होंने बताई है। यह तो ऊंट के मुंह में जीरा है। जो नहीं बताई है, वह है, असली दौलत !

वह है, बेनामी संपत्ति, विदेश में जमा काला धन। यह करोड़ों, अरबों–खरबों की दौलत राजनीति के रास्ते बड़ी आसानी से जमा हो जाती है। यह काला धन राजनी. ति का बाप है और राजनीति काले धन की अम्मा है। भ्रष्टाचार और राजनीति का चोली–दामन का साथ है। इसे भंग करना अदालतों के बस का काम नहीं है। वे तो यहां–वहां थोड़ी सुइयां चुभो सकती हैं लेकिन यह काम हमारी संसद चाहे तो काफी हद तक कर सकती है।

खरी-खरी

संतोष मिश्र

मोदी जी को सफाई अभियान की जगह नगर निगम में सफाई एवं भ्रष्टाचार पहले खत्म करना चाहिए। ज्यादातर नगर निगम में भाजपा का शासन है।

भगवान का कोई धर्म नहीं है।

क्यों जरूरी है जीएसटी

कुलदीप सक्सेना

भारत का वर्तमान कर ढांचा (Tax Structure) बहुत ही जटिल है। भारतीय संविधान के अनुसार मुख्य रूप से वस्तुओं की बिक्री पर कर लगाने का अधिकार राज्य सरकार और वस्तुओं के उत्पादन व सेवाओं पर कर लगाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। इस कारण देश में अलग अलग प्रकार के कर लागू है, जिससे देश की वर्तमान कर व्यवस्था बहुत ही जटिल है। कंपनियों और छोटे व्यवसायों के लिए विभिन्न प्रकार के कर कानूनों का पालन करना एक मुश्किल होताहै।

टैक्स पर टैक्स अप्रत्यक्ष कर (Indirect Taxation System) व्यवस्था में कर–भार अंतिम उपभोक्ता को वहन करना पड़ता है, लेकिन कर का संग्रहण (Collection of Tax) व्यवसायियों द्वारा किया जाता है। व्यवसायी को खरीदे गए माल पर चुकाए गए कर की क्रेडिट (Input Credit) मिलती है जिसका उपयोग वह अपने कर के भुगतान में कर सकता है। इस व्यवस्था से कर केवल मूल्य संवर्धन (बिक्री – खरीद) या (Value Addition) पर ही लगता है। व्यवसायी उपभोक्ता से कर संग्रहित करता है और उसमें से अपनी इनपुट क्रेडिट (खरीदे गए माल पर चुकाए गए कर) को घटाकर बाकी कर सरकार को जमा करवाते है।

लेकिन वर्तमान व्यवस्था में भारत में केंद्र सरकार द्वारा उत्पाद शुल्क (Excise Duty) व सेवा कर (Service Tax) और राज्य सरकार द्वारा बिक्री कर (VAT or Sales Tax) लगाया जाता है। इस कारण व्यवसायी को उत्पाद शुल्क और सेवा कर के भुगतान में बिक्री कर की इनपुट क्रेडिट (खरीदे गए माल पर चुकाए गए कर) का उपयोग नहीं कर सकता और बिक्री कर के भुगतान में सेवा कर(सेवाओं पर चुकाए गए कर) और उत्पाद शुल्क (खरीदे गए माल पर लगे उत्पाद शुल्क) की क्रेडिट का उपयोग नहीं कर सकता। इस कारण वर्तमान व्यवस्था में टैक्स पर टैक्स लग जाता है, जिससे वस्तुओं और सेवाओं की कीमत बढ़ जाती है ।

GST लागू होने से पूरे देश में एक ही प्रकार का अप्रत्यक्ष कर होगा जिससे व्यवसायियों को खरीदी गयी वस्तुओं और सेवाओं पर चुकाए गए जीएसटी की पूरी क्रेडिट (Credit) मिल जाएगी जिसका उपयोग वह बेचीं गयी वस्तुओं और सेवाओं पर लगे जीएसटी के भुगतान में कर सकेगा। इससे टैक्स केवल मूल्य संवर्धन पर ही लगेगा और टैक्स पर टैक्स लगाने की व्यवस्था समाप्त होगी जिससे लागत में कमी आएगी।

जीएसटी की मुख्य बातें

■ (GST) केवल अप्रत्यक्ष करों को एकीकृत करेगा, प्रत्यक्ष कर जैसे आय–कर आदि वर्तमान व्यवस्था के अनुसार ही लगेंगे।

■ जीएसटी में एक ही प्रकार का अप्रत्यक्ष कर लगेगा जिससे वस्तुओं और सेवाओं की लागत में स्थिरता आएगी

■ संघीय ढांचे को बनाए रखने के लिए जीएसटी दो स्तर पर लगेगा दृ सीजीएसटी (केंद्रीय वस्तु एंव सेवा कर) और एसजीएसटी (राज्य वस्तु एंव सेवा कर)। सीजीएसटी का हिस्सा केंद्र को और एसजीएसटी का हिस्सा राज्य सरकार को प्राप्त होगा।एक राज्य से दूसरे राज्य में वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री की स्थति में आईजीएसटी (एकीकृत वस्तु एंव सेवाकर) लगेगा। आईजीएसटी का एक हिस्सा केंद्रसरकार और दूसरा हिस्सा वस्तु या सेवा का उपभोग करने वाले राज्य को प्राप्त होगा।

■ व्यवसायी खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाले जीएसटी की इनपुट क्रेडिट ले सकेंगे जिनका उपयोग वे बेचीं गई वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाले जीएसटी के भुगतान में कर सकेंगे।सीजीएसटी की इनपुट क्रेडिट का उपयोग आईजीएसटी व सीजीएसटी के आउटपुट टैक्स के भुगतान, एसजीएसटी की क्रेडिट का उपयोग एसजीएसटी व आईजीएसटी के आउटपुट टैक्स के भुगतान और आईजीएसटी की क्रेडिट का उपयोग आईजीएसटी, सीजीएसटी व एसजीएसटी के आउटपुट टैक्स के भुगतान में किया जा सकेगा ।

■ GST के तहत उन सभी व्यवसायी, उत्पादक या सेवा प्रदाता को रजिस्टर्ड होना होगा जिन की वर्षभर में कुल बिक्री का मूल्य एक निश्चित मूल्य से ज्यादा है।

जीएसटी का आम लोगों पर प्रभाव :

■ अप्रत्यक्ष करों का भार अंतिम उपभोक्ता को ही वहन करना पड़ता है। वर्तमान में एक ही वस्तुओं पर विभिन्न प्रकार के अलग अलग टैक्स लगते है लेकिन जीएसटी आने से सभी वस्तुओं और सेवाओं पर एक ही प्रकार का टैक्स लगेगा जिससे वस्तुओं की लागत में कमी आएगी। हालांकि इससे सेवाओं की लागत बढ़ जाएगी

■ दूसरा सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह होगा कि पूरे भारत में एक ही रेट से टैक्स लगेगा जिससे सभी राज्यों में वस्तुओं और सेवाओं की कीमत एक जैसी होगी।

■ Goods and Service Tax Law (GST) लागू होने से केंद्रीय सेल्स टैक्स (सीएसटी), जीएसटी में समाहित हो जाएगा जिससे वस्तुओं की कीमतों में कमी आएगी ।

जीएसटी का व्यवसायों पर प्रभाव : ■ वर्तमान में व्यवसायों को अलग–अलग प्रकार के अप्रत्यक्ष करों का भुगतान करना पड़ता है जैसे वस्तुओं के उत्पादन करने पर उत्पाद शुल्क, ट्रेडिंग करने पर सेल्स टैक्स, सेवा प्रदान करने पर सर्विस टैक्स आदि। इससे व्यवसायों को विभिन्न प्रकार के कर कानूनों की पालना करनी पड़ती है जो कि बहुत ही मुश्किल एंव जटिल कार्य है। लेकिन जीएसटी के लागू होने से उन्हें केवल एक ही प्रकार अप्रत्यक्ष कानून का पालन करना होगा जिससे भारत में व्यवसाय में सरलता आएगी। वर्तमान में व्यवसायी, उत्पाद शुल्क व सेवा कर के भुगतान में बिक्री कर की इनपुट क्रेडिट (खरीदे गए माल पर चुकाए गए कर) का उपयोग नहीं कर सकता और बिक्री कर के भुगतान में सेवा कर(सेवाओं पर चुकाए गए कर) और उत्पाद शुल्क (खरीदे गए माल पर लगे उत्पाद शुल्क) की क्रेडिट का उपयोग नहीं कर सकता।

खरी-खरी

संतोष मिश्रा

पुलिस अपराधियों की खोज न करके पटाखे बेचने वालों को खोजती नजर आई।

अवसर के बिना काबिलियत कुछ भी नहीं है।

पाखण्डी बाबाओं की जमात को बढ़ावा देने वाले भी कम दोषी नहीं

कभी भारत अपनी महान आध्यात्मिक शक्तियों के चलते ही विश्व गुरु कहलाता था। दुनिया के सभी धर्मों/पंथों का जनक भारत का वैदिक धर्म ही रहा है। इतिहास गवाह है कि दुनिया के जितने महान पैगम्बर/धर्मगुरु चाहे वो ईसा मसीह हो और चाहे मोहम्मद साहब सभी का भारत के अध्यात्म से गहरा जुड़ाव रहा है। भारत के अध्यात्म के बल पर ही नामालूम कितने ऋषियों/मुनियों, संतों, महात्माओं ने दुनिया को ईश्वर से साक्षात्कार कराने व सच्चा जीवन जीने का मार्ग बताया दिखाया।

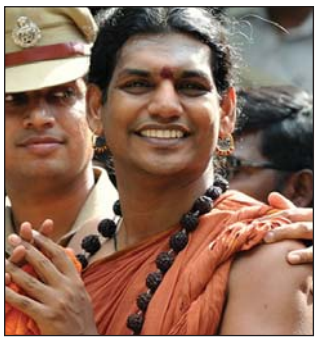

भारत के महान सम्राटों/राजाओं की सत्ता चूंकि धर्म केन्द्रित हुआ करती थी। अतएव प्रजा सदैव सुसम्पन्न व खुशहाल रहती थी। शनेरू–शनैरू तपस्वी ऋषियों/मुनियों, सच्चे संतों, महात्माओं का ज्यों–ज्यों लोप होना शुरू हुआ त्यों–त्यों पाखण्डी साधू संतों का उदय व प्रभाव बढ़ना शुरू हो गया। पहले राजाओं/महाराजाओं फिर सरक. ारों ने स्वार्थवश इन्हें प्रश्रय देना शुरू कर दिया। इनकी ताकत/शोहरत में चार–चांद लगने लगे। ऐसे में आमजन का इन पर भरोसा बढ़ना कोई आश्चर्य की बात कैसे कही जा सकती है।

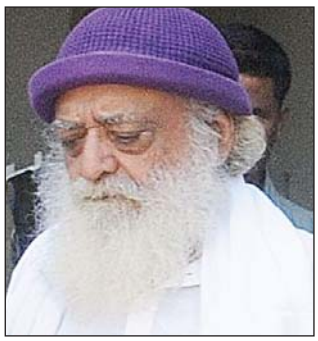

वैसे मानव स्वभाव सदैव सुखी जीवन जीने के लिये लालायित रहता है। अतएव वो बेहद आसानी से संतों/महात्माओं पर अंधविश्वास करके उनके कहे पर चलने लगता है। ऐसे में उसे उस संत महात्मा की अच्छाईयां/बुराईयां जानने/समझने की जरूरत ही नहीं महसूस होती। नतीजतन वो शोषण होने पर या तो उसे भगवान का शाप मान लेता है अथवा अपनी तकदीर का लेखा। अधिसंख्य भक्तों की यही सोच भी पाखण्डियों की ताकत को बढ़ाने का काम करती है। विडम्बना तो यह देखिये कि ढोंगी/पाखण्डी संतों/महात्माओं का शिक. ार केवल गैर पढ़े लिखे अथवा कम पढ़े लिखे अंध श्रद्धालु ही नहीं होते वरन् सुसभ्य समाज के प्रतीक नेता, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, शिक्षक, पत्रकार एवं उद्योगपति तक इनके दरबारों की शोभा बढ़ाने में पीछे नहीं रहते। यह बात दीगर है कि बाबा का आशीर्वाद पाने हेतु इनकी प्राथमिकतायें कुछ और रहती हैं। अहम सवाल यह है कि इन पाखण्डी बाबाओं की बढ़ती जमात को नंगा कर इन्हें हतोत्साहित करने की जिम्मेदारी जिन कंधों पर रही है उन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन क्यों नहीं किया?

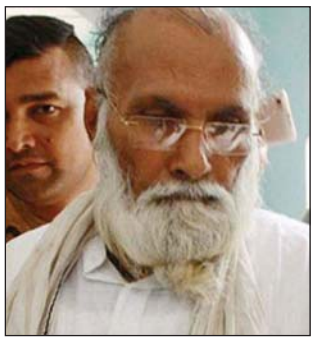

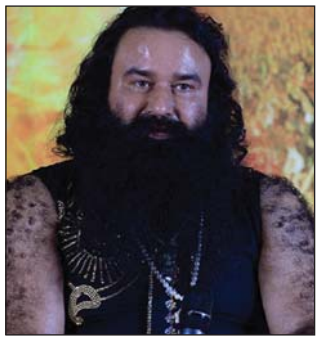

देश में हिन्दु धर्म के रक्षक व सचेतक माने जाने वाले शंकराचार्यों की फौज कहां है? कदाचित इनकी शिथिलता/अकर्णमयता का नतीजा रहा कि समाज में पाखण्डी बाबाओं का जाल फैलता गया। कभी भोग से योग की संस्कृ ति का जन्मदाता रजनीश देश/विदेश में पूज्य बन जाता है तो कभी भोगी बाल ब्रह्मचारी का डंका बजता है। कभी बाबा धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जैसा हथियारों का सौदागर इन्दिरा गांधी जैसी सशक्त प्रधानमंत्री का चहेता बन जाता है। कभी तांत्रिक चंद्रास्वामी जैसा बाबा नरसिम्हा राव जैसे प्रधानमंत्री का सलाहकार बन जाता है तो कभी होटल का गार्ड इच्छाधारी बाबा नागिन डांस करता है। तो कभी नौकरी छोड़ बाबा रामपाल बड़ी भीड़ को अपने इशारों पर नचाता नजर आता है तो कभी आसाराम कथावाचक बेटे सहित धर्म के नाम पर महिलाओं की इज्जत से खेलता है तो कभी हाईस्कूल फेल गुरमीत रामरहीम बनकर अय्याशी का अड्डा चलाता है और फिर धर्म भीरू जनता शंकराचार्यों को छोड़ इनके पीछे होती चली जाती है। नतीजा सामने है।

कहां है महान धर्म सुधारक महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज के अलम्बरदार। यदि इन लोगों ने भी कभी पाखण्डी बाबाओं के विरूद्ध आंदोन चलाया होता तो शायद तस्वीर इतनी घिनौनी न हो पाती। सरकारों व सरकारों के उन नुमाइंदों ने यदि राज धर्म का यथेष्ट पालन किया होता तो न तो पाखण्डियों को फलने–फूलने का मौका मिलता और न ही लोगों की जानें जातीं व अरबों की सम्पत्तियां अराजकता की भेंट चढ़तीं।

देश की धर्मभीरू जनता यदि कम से कम कर्मयोगी कृष्ण के महान संदेश 'कर्मण्ये वा धिकारस्ते मां फलेषु कदाचन'के उस महान संदेश का ही पालन करे तो उसे अनेक कष्टों से छुटकारा मिलना तय है। वैसे भी उसे याद रखना चाहिये कि कर्म फल ही मनुष्य को धन–धान्य पूर्ण, यशस्वी व पूज्य बना सकता है। कोई साधू–संत, धर्म–सम्प्रदाय नहीं। धर्म का अर्थ भी यही है कि हम अपने कर्तव्यों का पूरी ईमानदारी से पालन करें। साभार : पीएस

इंतजार मत करिए। सही समय कभी नहीं आता।

सोच तो गुलाम है, फिर आजादी कैसी!

भारत हर साल 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। यह दिन जहां हमारे आजाद होने की खुशी लेकर आता है वहीं इसमें भारत के खण्ड खण्ड होने का दर्द भी छिपा होता है। वक्त के गुजरे पन्नों में भारत से ज्यादा गौरवशाली इतिहास किसी भी देश का नहीं हुआ। लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप से ज्यादा सांस्कृतिक, राजनैतिक, सामरिक और आर्थिक हमले भी इतिहास में शायद किसी देश पर नहीं हुए। और कदाचित किसी देश के इतिहास के साथ इतना अन्याय भी कहीं नहीं हुआ।

वो देश जिसे इतिहास में श्विश्व गुरुश के नाम से जाना जाता हो, उस देश के प्रधानमंत्री को आज ष्मेक इन इंडियाष् की शुरूआत करनी पड़ रही है। श्सोने की चिड़ियाश जैसे नाम जिस देश को कभी दिया गया हो, उसका स्थान आज विश्व के विकासशील देशों में है। शायद हमारा वैभव और हमारी समृद्धि की कीर्ति ही हमारे पतन का कारण भी बनी। भारत के ज्ञान और सम्पदा के चुम्बकीय आकर्षण से विदेशी आक्रमणता लूट के इरादे से इस ओर आकर्षित हुए। वे आते गए और हमें लूटते गए। हर आक्रमण के साथ चेहरे बदलते गए लेकिन उनके इरादे वो ही रहे, वो मुठ्ठी भर होते हुए भी हम पर हावी होते गए, हम वीर होते हुए भी पराजित होते गए, क्योंकि हम युद्ध कौशल से जीतने की कोशिश करते रहे और वे जयचंदों के छल से हम पर विजय प्राप्त करते रहे, हम युद्ध भी ईमानदारी से लड़ते थे और वे किसी भी नियम को नहीं मानते थे।

इतिहास गवाह है, हम दुश्मनों से ज्यादा अपनों से हारे हैं शायद इसीलिए किसी ने कहा है, श्हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था।ष् जो देश अपने खुद की गलतियों से नहीं सीखा पाता वो स्वयं इतिहास बन जाता है। हमें भी शायद अपनी इसी भूल की सजा मिली जो हमारी वृहद सीमाएं आज इतिहास बन चुकी हैं। वो देश जिसकी सीमाएं उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिन्द महासागर, पूर्व में इंडोनेशिया और पश्चिम में ईरान तक फैली थीं, आज सिमट कर रह गई और इस खंडित भारत को हम आजाद भारत कहने के लिए विवश हैं।

अखंड भारत का स्वप्न सर्वप्रथम आचार्य चाणक्य ने देखा था और काफी हद तक चन्द्रगुप्त के साथ मिलकर इसे यथार्थ में बदला भी था। तब से लेकर लगभग 700 ईसवीं तक भारत ने इतिहास का स्वर्णिम काल अपने नाम किया था। लेकिन 712 ईस्वीं में सिंध पर पहला अरब आक्रमण हुआ फिर 1001 ईस्वीं से महमूद गजनी, चंगेज खान, अलाउद्दीन खिलजी, मुहम्मद तुगलक, तैमूरलंग, बाबर और उसके वंशजों द्वारा भारत पर लगातार हमले और अत्याचार हुए। 1612 ईस्वीं में जहाँगीर ने अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की इजाजत दी। यहाँ इतिहास ने एक करवट ली और व्यापार के बहाने अंग्रेजों ने पूरे भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। लेकिन इतने विशाल देश पर नियंत्रण रखना इतना आसान भी नहीं था यह बात उन्हें समझ में आई 1857 की क्रांति से। इसलिए उन्होंने ष्फूट डालो और राज करोष् की नीति अपनाते हुए धीरे धीरे भारत को तोड़ना शुरू किया। 1857 से 1947 के बीच अंग्रेजों ने भारत को सात बार तोड़ा।

1876 में अफगानिस्तान, 1904 में नेपाल, 1906 में भूटान, 1914 में तिब्बत, 1935 में श्रीलंका, 1937 में म्यांमार, 1947 में बांग्लादेश और पाकिस्तान, लेकिन हम भारतवासी अंग्रेजों की इस कुटिलता को नहीं समझ पाए कि उन्होंने हमारे देश की भौगोलिक सीमाओं को ही नहीं तोड़ा, बल्कि हमारे समाज, हमारी भारतीयता, इस देश की आत्मा को भी खण्डित कर गए। जाते जाते वे इस बात के बीज बो गए कि भविष्य में भी भारत कभी एक न रह पाए। बहुत ही चालाकी से वे हिन्दू समाज को जाती क्षेत्र और दल के आधार पर जड़मूल तक विभाजित कर गए।

जरा सोचिए कि क्यों जब हमसे आज हमारा परिचय पूछा जाता है तो हमारा परिचय ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, मराठी, कायस्थ, दलित कुछ भी हो सकता है लेकिन भारतीय नहीं होता ? अंग्रेजों के इस बीज को खाद और पानी दिया हमारे नेताओं ने जो देश के विकास की नहीं वोट बैंक की राजनी. ति करते आ रहे हैं। जब इक्कीसवीं सदी के इस ऊपर से, किन्तु भीतर ही भीतर विभाजित भारत की यह तस्वीर अंग्रेज देखते होंगे तो मन ही मन अपनी विजय पर गर्व महसूस करते होंगे। एजेंसी

टॉप टेन में शुमार हुई 'फेल' छात्रा

विवादों में रहना मानो बिहार स्कूल एजूक. शन बोर्ड का शगल है। ताजा मामले में 10वीं एक छात्रा को फेल घोषित कर दिया गया। लेकिन लड़की को अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा था, लिहाजा उसने रिजल्ट को हाईकोर्ट में चुनौती दी। कॉपियां फिर जांचीं गईं तो छात्रा न सिर्फ पास हुई बल्कि राज्य के टॉप टेन में आ गई।

हुआ यों कि सहरसा जिले की प्रियंका सिंह को संस्कृत में 100 में से 9 और साइंस में 80 में से 29 नंबर मिले थे। उसे फेल बताया गया था। प्रियंका ने आंसरशीट की स्क्रूटनी का फॉर्म भर दिया। लेकिन बोर्ड ने 'नो चेंज' का फरमान सुना दिया। प्रियंका ने हाई कोर्ट में गुहार लगाई तो बोर्ड ने उसका दावा झुठलाने की कोशिश की। प्रियंका ने कहा कि यदि वह फेल है तो बोर्ड आंसरशीट कोर्ट में दिखाए। कोर्ट ने प्रियंका की संस्कृत और साइंस की आंसरशीट लाने का निर्देश दिया। प्रियंका ने कॉपी देखी तो उसे बदला पाया। कोर्ट ने सामने बैठकर हैंडराइटिंग का सैंपल देने को कहा तो पाया कि आंसरशीट की और ओरिजनल हैंडराइटिंग मेल नहीं खा रही है। इसके बाद आंसरशीट की तलाश शुरू हुई। मालूम हुआ कि प्रियंका की आंसरशीट में बार कोडिंग गलत तरीके से हुई थी, जिससे उसकी कॉपी से दूसरी छात्रा संतुष्टि कुमारी को संस्कृत और साइंस में फेल से पास कर दिया गया, जबकि प्रियंका पास से फेल कर दी गई थी। जब कोर्ट के सामने कॉपियों की जांच हुई तब प्रियंका के संस्कृत में 61 और विज्ञान में 80 नंबर आए। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी स्वीकार किया कि स्क्रूटनी में महज खानापूर्ति होती है। कोर्ट ने माना कि प्रियंका और उसके पैरेंट्स को मानसिक पीड़ा से गुजरना पड़ा है, लिहाजा बोर्ड हर्जाना दे।

साभार : एनबीटी

हस्तरेखा देखने वाला, जुआरी, वैद्य, शत्रु–मित्र और नर्तक इन छह लोगों को कभी भी गवाह न बनाएं।

योगी ने मनाई अयोध्या में ऐतिहासिक दिवाली

अयोध्या में इतिहास की सबसे बड़ी दीवाली मनाई जा रही है. भगवान राम के आगमन पर अयोध्या में भव्य तैयारी है. सरयू नदी पर राम की पैड़ी में दीप उत्सव मनाया जा रहा है. अयोध्या में तैयारी ऐसी है जैसे जमाने पहले भगवान राम के वनवास से लौटने के बाद यहां दिवाली मनाई गई थी. पुष्पक विमान की जगह हेलीकॉप्टर के जरिये भगवान राम की सवारी उतरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवान राम को तिलक लगाया और फिर आरती उतारी।

इस मौके पर सरयू घाट पर करीब दो लाख दिए भी जलाए जाएंगे. इसके अलावा लेजर शो के अलावा रामलीला का मंचन का कार्यक्रम भी है, जिसके लिए थाईलैंड और श्रीलंका से भी कलाकार यहां पहुंचे हुए हैं. इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के लिए कई योजनाओं की भी शुरुआत करेंगे. माना जाता है कि त्रेता युग में 14 साल का वनवास काटकर और लंका विजय कर अयोध्या लौटे भगवान राम का जोरदार स्वागत किया गया था और राम की नगरी को दीपों से सजाया गया था।

इस बार दीपावली पर अयोध्या में खास रौनक है. बाजार सजे हुए हैं. सड़कों पर श्रद्धालुओं की भीड़ है. लोग भी इस खास दीपावली के इंतजार में हैं. इस त्योहार में तीन दिन तक अयोध्या की सड़कों पर मेला जैसा माहौल होता है. सड़कों पर दुकानें लगती हैं. आतिशबाजी, खील–बतासे, खिलौने और अन्य सजावटी सामान बिकता है. पटरी कारोबा. रियों को लगता है कि अयोध्या का विकास होना चाहिए. दुक. नदारों का कहना है कि नेता आएं कोई बात नहीं, लेकिन सुरक्षा के नाम पर उन्हें नहीं हटाना चाहिए। एजेंसी

पॉलिटिकल पार्टियों की इनकम 11,367 करोड़

नई दिल्ली. 2004–05 से 2014–15 के बीच पॉलिटिकल पार्टियों की इनकम 11, 367.34 करोड़ रुपए रही। इसमें से 7,833 करोड़ रु. फंडिंग अज्ञात स्रोतों से हुई। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (।क्) की रिपोर्ट के मुता. बिक, अज्ञात स्रोतों से नेशनल और रीजनल पॉलिटिकल पार्टियों को मिला फंड उनकी टोटल इनकम का 69: है। ज्ञात स्रोतों से कमाई केवल 16 फीसदी...

■ ADR की रिपोर्ट के मुताबिक 2004–05 से 2014–15 के बीच नेशनल और रीजनल पार्टियों को 11, 367.34 करोड़ रुपए की इनकम हुई।

■ पॉलिटिकल पार्टियों को ज्ञात स्रोतों से हुई कमाई का आंकड़ा इस अवधि में 1,835.63, जो कि टोटल इनकम का महज 16% है।

■ अन्य ज्ञात स्रोतों से 11 साल के दौरान पॉलिटिकल पार्टियों को 1,698.73 करोड़ रुपए मिले, जो कि टोटल इनकम का 15: है।

अज्ञात स्रोतों से फंडिंग में बीजेपी–कांग्रेस सबसे आगे

■ ADR की रिपोर्ट के मुताबिक, ष्इन 11 सालों में कांग्रेस की टोटल फंडिंग का 3,323.39 करोड़ रुपए यानी 83% अज्ञात स्रोतों से मिला है।

69% अज्ञात स्रोतों से ADR की रिपोर्ट

■ इस अवधि में बीजेपी की टोटल फंडिंग का 65% यानी 2,125.91 करोड़ रु. अज्ञात स्रोतों से मिला है।

■ रीजनल पार्टियों में सपा की टोटल इनकम का 94% यानी 766.27 करोड़ रु. अज्ञात स्रोता. ं से आया है। शिरोमणि अकाली दल में ये आंकड़ा 86: यानी करीब 88 करोड़ रुपए है।

■ 11 साल के दौरान सबसे ज्यादा फंडिंग कांग्रेस को हुई, जो कि 3,982.09 करोड़ रु. है। वहीं, बीजेपी को इस अवधि में बीजेपी को 3272 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई।

अज्ञात स्रोतों से रीजनल पार्टियों की फंडिंग 652% बढ़ी

■ ADR की रिपोर्ट बताती है कि 11 साल के दौरान नेशनल पार्टियों को अज्ञात स्रोतों से होने वाली फंडिंग में 313: का इजाफा हुआ है। 2004–05 में ये 274.13 करोड़ रुपए थी,जो कि 2014–15 के दौरान 1130.92 करोड़ रु. तक पहुंच गई।

■ रीजनल पार्टियों को अज्ञात स्रोतों से होने वाली फंडिंग में 11 साल में 652% का इजाफा हुआ है। 2004–05 में ये 37.39 करोड़ रुपए थी, जो 2014–15 में 281 करोड़ तक पहुंच गई।

2000 गुना से ज्यादा बढ़ी बीएसपी की कमाई

■ रिपोर्ट के मुताबिक, बीएसपी अकेली ऐसी पार्टी है, जो कि इन 11 सालों के दौरान यही डिक्लेयर करती आई है कि उसे 20,000 रुपए से ऊपर एक भी डोनेशन नहीं मिली।

एजेंसी

I m possible बस, देखने का नजरिया बदल दो और नामुमकिन को मुमकिन करो।

आदमी से ज्यादा वफादार जानवर

■ भेड़ियों को देख कोई भी डर जाता है। आक्रामक और बेहद तेज.तर्रार ये जानवर पल भर में किसी को भी चीर फाड़ कर रख सकते हैं लेकिन जहां बात लाइफ पार्टनर की हों वहां ये जानवर काफी लॉयल होते हैंण् असल मायने में मौत ही इन्हें अपने पार्टनर से दूर कर पाता है। अगर आप जंगल में किसी अकेले भेड़िए को देखते हैंए तो इसका मतलब है कि या तो वो अपने पार्टनर का इंतजार कर रहा होगा या अपनी गुजर चुके पार्टनर को याद कर रहा होगाण् भेड़िए अपने पार्टनर की मौत के बाद नयी पार्टनर नहीं ढूंढते।

■ छोटे **ऊदबिलाव** इंसानों को भी प्यार में वफा का पाठ पढ़ा जाते हैं। अपने पार्टनर या सच्चे प्यार से मिलने के बाद इनका ज्यादातर समय साथ बीतता है। अपने रिलेशन को ठीक रखने के लिए ये काफी कुछ करते हैं।

■ **लंगूर** अपने पार्टनर से काफी प्यार करते हैं। करीब 40 साल जीने वाले लंगूर एक ही पार्टनर के साथ पूरी जिंदगी गुजार देते हैं।

■ **गिद्धों** से इंसान को हमेशा से डर लगा है। लेकिन ये गिद्ध अपने पार्टनर प्रति काफी वफादार होते हैंण् अगर इन्हें लगता है कि इनके पार्टनर की तरफ किसी की नजर हैए तो ये काफी आक्रामक हो जाते हैं।

■ आठ पैरों वाले **आक्टोपस** अपनी पूरी जिंदगी में एक ही पार्टनर के साथ रिलेशन बनाते हैं, ऐसा करने के कुछ समय बाद ही इनकी मौत भी हो जाती है।

■ दिखने में बेहद खूबसूरत ये **मछलियां** वैसे तो शांत रहती हैं, लेकिन जब इनके खाने वाले इलाके या इनके पार्टनर की तरफ कोई और बढ़ता है। तो ये काफी एग्रेसिव हो जाती हैं।

■ **हंसों** को अपने पार्टनर के प्रति सबसे ज्यादा वफादार कहा जाता है। नर हंस मादा की घोंसला बनाने से लेकर अंडों को सेने और बच्चों का ख्याल रखने तक में मदद करते हैं।

■ **उल्लुओं** की एक प्रजाति बार्न अपने पार्टनर्स से काफी प्यार करते हैं। नर उल्लू मादा उल्लू को आंखों से इशारा कर शिक. ार को दिखाता है। ये इनका प्यार जताने का अपना तरीका होता है।

■ ये पक्षी पूरी सर्दियां अकेले ही उड़ान भरते हैंण् लेकिन जब इनके प्रजनन का समय आता हैए तो ये अपने प्यार के पास लौट जाते हैं। ये पूरी जिंदगी एक ही पार्टनर के साथ रहते हैं।

एजेंसी

जल्दी गुस्सा करना जल्द ही आपको मूर्ख साबित कर देगा।

प्रॉपर्टी में हक नहीं, ये कैसा सशक्तीकरण

महेंद्र कुमार पाण्डेय (अधिवक्ता)

बेटियों का अपनी पैतृक संपत्ति में हक मांगना अच्छा नहीं माना जाता। कई बार ऐसी मांग उठते ही रिश्ता टूटने की नौबत आ जाती है। देश में महिला सशक्तीकरण पर चर्चा तो खूब होती है, लेकिन पूरी बहस में जो असली पहलू है, वह कहीं पीछे छूट जाता है। किसी भी महिला को सशक्त बनाने में सोशल सिक्योरिटी बहुत अहम है। यानी जीवन जीने के लिए जो आधारभूत जरूरतें हैं, उनके लिए वे किसी पर निर्भर न हों। किसी और पर निर्भरता ही महिला को कमजोर बनाती है। इसलिए आत्मनिर्भरता बेहद जरूरी है। यही महिला सशक्तीकरण का सबक है। महिलाओं को संपत्ति में अधिकार मिलना चाहिए।

भारत में प्रॉपर्टी पर महिलाओं के अधिकार की कहानी भारत की आजादी जितनी ही पुरानी है। डॉ. आंबेडकर ने हिंदू कोड बिल ड्राफ्ट किया था, जिसमें महिलाओं के कई अधिकारों समेत पैतृक और पति की प्रॉपर्टी में अधिकार की बात भी कही गई थी। अप्रैल 1948 में यह बिल सिलेक्ट कमिटी को भेजा गया, जहां इसपर चार साल चर्चा चली। इस तरह यह सबसे ज्यादा चर्चा किया जाने वाला बिल बना।

बिल के प्रति निराशाजनक माहौल को देखते हुए आंबेडकर ने 1951 में इस्तीफा दे दिया, पर तब उन्हें रोक लिया गया। एक बार फिर इसे संसद में पेश किया गया लेकिन समर्थन नहीं मिला। अंततरू 1955 में यह पास हुआ, लेकिन आंबेडकर इसके प्रावधानों से संतुष्ट नहीं थे। आखिरकार उन्होंने नेहरू की कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। तब से अब तक महिलाओं को संपत्ति में हक देने के मामले में कोई खास परिवर्तन नहीं आया। महिलाओं को संपत्ति में हिस्सेदारी देने के मामले में समाज पूरी तरह फेल होता दिखा है। यूं तो भारतीय कानून में महिलाओं के लिए पैतृक और पति की प्रॉपर्टी में हिस्से की व्यवस्था है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में पैतृक अचल संपत्ति में मिलने वाले अधिकारों का उल्लेख है। लेकिन, बेटियों को प्रॉपर्टी देने से जुड़ी इसकी कुछ कमियां दूर करने के लिए 2005 में हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम लागू हुआ। इस संशोधन के बाद पुत्री को भी पैतृक प्रॉपर्टी में बेटों के बराबर हक प्रदान किया गया है। हिंदू परिवार, जिनमें सिख ,जैन और बौद्ध भी शामिल हैं, में जो अधिकार पुत्र को प्राप्त होते हैं, वही अब बेटियों को भी प्राप्त हुए। इस संशोधन से पहले पिता की जमीन–जायदाद पर स्वामित्व का अधिकार पुत्रियों को नहीं दिया गया था। लेकिन अब जन्म के साथ ही बेटियों को पिता की प्रॉपर्टी में अधिकार प्राप्त हो गए हैं। यह प्रावधान 20 दिसंबर, 2004 से पहले हुए प्रॉपर्टी के बंटवारे पर लागू नहीं होगा। लेकिन पिता की मृत्यु इस कानूनी संशोधन के बाद हुई हो तो पैतृक प्रॉपर्टी के उत्तराधिकार का निर्धारण नए प्रावधानों के अनुसार होगा। वसीयत न होने की स्थिति में भी बेटी संपत्ति में बराबर की हिस्सेदार होगी। समस्या यह है कि व्यवहार में इसका पालन हो रहा है या नहीं, इसकी पड़ताल की कोई गंभीर कोशिश ही नहीं हुई है। आज भी इसकी हकीकत बताने वाला कोई आंकड़ा हमारे पास नहीं है। सरकार को सोचना चाहिए कि ऐसी व्यवस्था या माहौल कैसे बने कि प्रॉपर्टी में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़े। कानून के हिसाब से महिला को माता–पिता या पति की संपत्ति में हिस्सा मिलना चाहिए, लेकिन समाज में इसका पालन न के बराबर होता है। खासकर हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में बेटी को संपत्ति का हिस्सा देना अब भी विवादित और अस्वीकार्य है। बेटियों का अपनी पैतृक संपत्ति में हक मांगना अच्छा नहीं माना जाता। बात परिवार में महिला को हिस्सा देने की हो तो कानूनी लड़ाई या रिश्ता तोड़ने की नौबत आती है। स्थापित सामाजिक व्यवस्था को चुनौती देते ही हमारा समाज बौखला उठता है, मानो बेटी को संपत्ति में हक देते ही घर की दीवारें हिल जाएंगी। घर भी महिला के नाम पर इसलिए रजिस्टर कराया जाता है क्योंकि इससे टैक्स बचता है। महिला को सामाजिक सुरक्षा देने या सशक्त करने की मंशा यहां कम ही होती है। सवाल उठता है कि देश में प्रॉपर्टी पर सिर्फ पुरुषों के मालिकाना हक की परंपरा क्यों चली आ रही है। महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टी बनाने की परंपरा क्यों विकसित नहीं हुई। जिस घर में महिला रह रही है, यदि वह उसके नाम पर हो तो इससे न सिर्फ महिला का आत्मसम्मान बढ़ेगा, बल्कि विपरीत परिस्थितियों में यह उसको किसी भी तरह के शोषण से भी बचाएगा। संपत्ति पर मालिकाना हक न होने के कारण भी महिलाएं परिवार में बड़े फैसले लेने के अधिकार और सम्मान से वंचित रहती हैं। कई महिलाएं शादीशुदा जिंदगी में ज्यादती सहती हैं, क्योंकि उनके पास अपना कोई ठिकाना नहीं होता। आर्थिक प्रगति न सिर्फ सम्मान बल्कि विचारों को खुलकर रखने का स्पेस भी दिलाती है और महिला को उसके वजूद का अहसास कराती है। गोल्ड की खरीदारी से ज्यादा जरूरी है, महिला के नाम पर एक घर होना, चाहे वह छोटा ही क्यों न हो। भारतीय समाज में ऐसे भी उदाहरण देखे जाते है कि कई साल पति के घर में रहने के बाद अचानक एक महिला को घर छोड़ने के लिए कह दिया जाता है, वह भी बच्चे समेत। ऐसे में उस महिला और बच्चे के लिए क्या कोई सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध है? क्या सरकारी तंत्र में ऐसा कोई प्रावधान है, जिससे उस महिला के रहने और गुजारे की एक न्यूनतम आर्थिक व्यवस्था की जा सके, इसके लिए महिलाओं को खुद आगे आना होगा और अपने परिजनों के खिलाफ मुंह खोलने का साहस दिखाना होगा। हक उन्हें तभी मिलेगा, जब वे इसे मांगेंगी। सामाजिक मर्यादा के नाम पर अपना हक छोड़ना खुद के प्रति अन्याय है। सरकार को इस विषय में जागरूकता बढ़ानी चाहिए और संपत्ति में हिस्से के लिए लड़ रही महिलाओं की मदद करनी चाहिए।

शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है। एक शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है, शिक्षा सौंदर्य और यौवन को परास्त कर देती है।

लोक जागृति (NGO)

लोक जागृति की स्थापना श्री स्वामी नारायण जी की प्रेरणा से की गई है। यह संस्था 80G में रजिस्टर्ड है। जिसका निम्नलिखित उद्देश्य है

- वृद्ध आश्रम की स्थापना करना।
- लोगों को जागृत करने के लिए 'लोक जागृति पत्रिका' का प्रकाशन।
- लोगों में कानूनी जागरुकता फैलाना।
- गरीब, विधवा, अनाथ बच्चों एवं असहाय लोगों की सहायता करना।
- अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों को जागरुक करना।
- लोगों को अपने कर्तव्य एवं अधिकारों की जानकारी प्राप्त कराना।
- पर्यावरण सुरक्षा एवं स्वच्छता को प्रोत्साहन देना।
- धार्मिक जागरुकता फैलाना।

यदि आप संस्था से जुड़ना चाहते है तो सम्पर्क करें
95, सेक्टर 3ए, वैशाली, गाजियाबाद, उ.प्र.
मोबाइल : 9810960818 ई मेल : **lokjagriti@gmail.com**

कार्यालय नगर पालिका परिषद गुरसहायगंज (कन्नौज)

सभी नगरवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं

नगर पालिका परिषद के नागरिकों से अपेक्षाएं

1. नगर को स्वच्छ रखने में पालिका का सहयोग करें, कूड़ा कचरा सड़क पर न डालें।
2. नगर के यातायात मार्गों/नालियों/सड़कों/पालिका भूमि पर अवैध कब्जा न करें।
3. दिन में जल रही स्ट्रीट लाइटों की सूचना पालिका को दें।
4. व्यक्तिगत जलसंयोजन एवं स्टैण्डपोस्ट की टोंटी खुली न छोड़ें, जल है तो कल है।
5. जन्म मृत्यु की सही सूचना निर्धारित समय पर देकर प्रमाण–पत्र प्राप्त करें।
6. अपने भवन निर्माण से पहले भवन मानचित्र पालिका से स्वीकृत कराएं।
7. पालिका के समस्त देयों का सही से भुगतान करें।
8. खुले में शौच न जाएं। घर पर स्वच्छ घरेलू शौचालय बनवाएं एवं इस्तेमाल करें।

(शिवमोहन सिंह)
अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
गुरसहायगंज–कन्नौज

कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोजता है, और कायर बहाना.

पुराना दौर

कुछ देर ही सही वही, पुराना वक्त लौट आये
जिसे हम न जाने कब और कहाँ छोड आये
मा चूल्हे से एक रोटी बना कर उतारे और
हम सब भाई–बहन टुकडे कर बांटकर खाये
न कोई ए.सी. हो न कोई फ्रिज न कोई कार हो
छोटी सी दुनिया का एक छोटा सा संसार हो
घर के किसी कोने में एक सुराही पडी हो
उसके ठंडे मीठे पानी से अपनी प्यास बुझाये
एक दूसरे का दर्द बांटे एक ऐसा प्यार हो
एक दूसरे की मदद के लिये सब तैयार हो
घर में बनी सब्जी की एक कटोरी दौडकर
अपने पडोस की आंटी को भी थमा आये

दिल बडा हो बेशक किल्लत हो, दिक्कत हो
जूझने का जज्बा हो दुख सहने की हिम्मत हो
कमी में भी बस खुदा की रहमत हो
फर्श पर भी सो जाये जब घर कोई मेहमान आये
न टी.वी. हो, न लैपटाप, न हाथ में फोन हो
हर तरफ चहचहाहट हो न कोई भी मौन हो
रोये, हंसे, लडे–झगडे न कोई भी खामोशी हो
वक्त दे एक दूसरे को, खूब बाते बनाते जाये
अभाव में भी प्रेम रस का हर एक भाव हो
संतोष हो मन में, ज्यादा की न कोई चाह हो
एक सरकारी नौकरी हो पिताजी की
बस एक पिताजी ही कमाये, सब मिलकर खाये
घर के कमरो में कहीन भी मनी प्लांट न हो
सीधे साधे से बचपन में कोई काट छांट न हो
हर घर के आंगन में एक विद्या का पेड हो
र किताब के बीच में एक मोर का पंख सजाये
एच. एम. टी की घडी सजी हो कलाई में
वही मर्फी का रेडियो बजता हो जोर से
छाया गीत चलाये सिलोन रेडियो पर जोर से
और उतनी ही जोर से साथ में खुद भी गाये

विजेता हम ही होयेंगे.....

शिकस्तों से भरी गठरी नहीं हम सिर पे ढोयेंगे–
बचे कुछ स्वप्न हैं अब भी,जिन्हें हम फिर से बोयेंगे,
नयी फसलात् होंगी मेरे इन सपनों के बीजों से –
यकीं है,देर से ही हों, विजेता हम ही होयेंगे.....
चुनेंगे राह हरदम इक नई हम लीक से हटकर–
जियेंगे कत्तई ना बीते दिन के दर्द से सटकर,
मेरी माला के मोती चाहे जितनी बार भी बिखरें–
मगर उन मोतियों को हम हजारों बार पोयेंगे।
विजेता हम ही होयेंगे.....

जो बीती जिन्दगी अब तक,भला उससे शिकायत क्या–
मैं आवारा परिंदा हूँ, मेरी खातिर रिवायत क्या,
फलक छूने के अपने फैसले पर हूँ सदा कायम–
हजारों बार टूटें फिर भी हम सपने सजोयेंगे।
विजेता हम ही होयेंगे.....
खुदा ने क्यूँ कहूँ कि जड़ दिये तकदीर पे ताले–
ये क्या कम है कि उसने,मुझको दो–दो हाथ दे डाले,
इन्हीं पर कर भरोसा आज,दावा हम ये करते हैं–
कि जीते जी कभी भी भीड़ में हरगिज न खोयेंगे।
विजेता हम ही होयेंगे.....
बहुत ही दिल दुःखाया हमने अपने जानिसारों का–
अभी है सूद बाकी प्यार का कुछ, अपने यारों का,
भगीरथ की तरह गंगा को अपने दिल में ला करके–
कई गुजरे गुनाहों के निशां अब 'राज' धोयेंगे।
विजेता हम ही होयेंगे.....

.....

राजेश्वर राय 'दयानिधि' / गाजियाबाद
8800201131ध9540276160

तपती धरती

बुखार से तपती इस धरती को
भला कौन दवा पिलायेगा
तडपती मा को इलाज के लिये
वैद के पास कौन ले जायेगा

पिघल गया है देखो धरती के
माथे पर सजा हिमालय
अब जलते माथे पर बर्फ के
ठंडी पट्टी कौन लगायेगा

हर रोज एक कोना चीर देते हैं हम
धरती के ठंडे से आंचल का

तपते– जलते इसके बदन को कौन
हरियाली की चादर ओढायेगा

इसकी धमनियो में अब खून भी
बहना बंद सा हो गया है
कचरे से भरी दुर्गंध छोडती इन
रुकी नदियो को कौन बहायेगा

हर्म तेल से खौलते हैं इसके चरणो में
झुके सातो महासागर भी

खौलती इस कढाई मे तलती हुयी
ये धरती कौन बचायेगा

सूरज की जलती आंखो से अग्नि का
क्रोध बरबस बरसता है
धधकती हुई इस बेकाबू अग्नि को
कौन आकर बुझायेगा

जिस मा को उसके पुत्र ही उसके
जीते जी चिता पर रख दे
आखिर उस मा को फिर थोडा सा
ढांढस भी कौन बंधायेगा

प्रत्येक अच्छा कार्य पहले असम्भव नजर आता है।

कागजी घोड़ा

जनसुनवाई मुख्यमंत्री के महत्वपूर्ण एवं सराहनीय कार्यों में एक है। जनसुनवाई वेबसाइट के माध्यम से आप कोई भी शिकायत कर सकते हैं और यह शिकायत सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय से अग्रसित की जाती है और मुख्यमंत्री कार्यालय इस पर नजर रखता है लेकिन लालफीता शाही एवं अफसरों की कारगुजारी एवं शातिराना चाल से यह सिर्फ कागजी घोड़ा बन कर रह गई है। सिर्फ हाजिर जवाबी होती है और काम सिर्फ 5 फीसद ही हेाता है। हमने गाजियाबाद नगर निगम की शिकायत इस पर की और हर बार शिकायत का निस्तारण कर दिया जाता रहा लेकिन एक अधिकारी या कर्मचारी जगह पर कार्य कराना तो दूर आकर अफसर निरीक्षण करने तक नहीं आते। इसी तरह से कई शिकायतें की गईं लेकिन सिर्फ निस्तारण हुआ काम नहीं। संवाददाता

विकास प्राधिकरण बना विनाश का कारण

हां, विकास प्राधिकरणों के विनाशपूर्ण कार्यप्रणाली के कारण लाखों लोगों के सम्पूर्ण जीवन की कमाई गंवानी पड़ी अब लोग सड़कों पर हैं। हम हर अंक में इस लूट को बराबर लिखते आए हैं। लोगों को लूटने में कोई भी सरकारी तंत्र पीछे नहीं रहा है। सरकार की नाकामी के कारण यह बिल्डर पैदा हुए और यह बिल्डर भी सही माने में न होकर बिचौलिए थे, ये जमीन एलॉट कराते थे, लोगों से, बैंकों से पैसा लेते थे और इस काम में जो सहयोग करते थे उन्हें मालामाल कर देते थे। मकान बनाने का काम तो ठेके पर दे दिया करते थे तो काहे के बिल्डर।

सरकार रेरा कानून लाई है लेकिन इसकी भी उपयोगिता सिर्फ सरकारी खर्च बढ़ाने एवं इसकी आड़ में कुछ लोगों को मालामाल बनाने का मौका जरुर मिल जाएगा। आखिर में हमारे यहां आईपीसी के तहत बिल्डरों पर जालसाजी, विश्वासभंग इत्यादि धाराए क्यों नहीं लागू होती है? बिल्डर सरकार की तरह ट्रांसफर चार्ज वसूलता है सरकार से बिजली लेकर कई अधिक दामों पर लोगों को बेचता है, मकान मालिक होने के बाद वह उन्हें किराएदार की तरह रखता है हर बात के लिए बिल्डर से इजाजत लेनी होती है और सरकार इन सब को करने देती है। बिल्डर पैसे का हेरफेर करता है तो आयकर विभाग क्या करता है? कैसे कर निर्धारण करता है?। संवाददाता

योग में ही आस्था

कुमकुम

यहां वैशाली सेक्टर 3A में बड़ा पार्क है। जिसमें भारतीय योग संस्थान की शिक्षिका श्रीमति कुमकुम जो कि सन 2000 से योग से जुड़ी हैं। करीब 5 साल से इस पार्क में योग करा रही हैं। आरडब्ल्यूए वालों का पूरा सहयोग मिल रहा है। इसमें महिलाएं पुरुष व बच्चे सभी आते हैं। सुबह 5.15 से 6.15 कक्षा चलती है। सर्दियों के समय में 10 से 11 का हो जाता है। करीब 40–50 की संख्या सर्दियों में व आजकल 35–40 हो जाती है। योग के लिए अपनी दिनचर्या से समय निकाल कर यहां लोग स्वस्थ होने आते हैं और यह केंद्र निःशुल्क चलता है। योग के फायदे बताकर ही योग कराया जाता है। इससे शरीर रोगमुक्त हो जाता है। शिक्षिकों का विचार है कि योग से तन–मन दोनों ही स्वस्थ रहते हैं। आज की युवा पीढ़ी सीनियर सिटीजन की अपेक्षा ज्यादा रोग ग्रस्त है। मानसिक तनाव को दूर करने के लिए योग बेहद जरुरी है।

लता पांचाल

मैं लता पांचाल मुझे योगा से जुड़े हुए तीन वर्ष हेा गए हैं। मैं योगा में आने से पहले बहुत अस्वस्थ थी मेरे जोड़ों में दर्द रहता था। इस वजह से मैं चल फिर नहीं पाती थी। मैं पांच साल से दवाएं ले रही थी। परंतु मुझे किसी प्रकार का लाभ नहीं था। एक दिन मेरी योगा टीचर कुमकुम आंटी से मुलाकात हुई और योग के बारे में जानकारी मिली। आंटी के मार्गदर्शन में योगा करने से मेरे जीवन में परिवर्तन आया और अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं।

सुमन गोस्वामी

मैं पहले बहुत तनाव में रहती थी जिससे मुझे बात–बात पर गुस्सा आता था और नींद नहीं आती थी। फिर मेरा भारतीय योग संस्थान की शिक्षिका श्रीमति कुमकुम जी की योग कक्षा में आना शुरु हुआ। जब से मैंने योग शुरु किया तब से मेरा तनाव व गुस्सा सब दूर हो गया मुझे नींद अच्छी तरह आने लगी अब मुझे कोई थकान या कोई भी परेशानी नहीं होती। मैं हमेशा पॉजीटिव रहती हूं और प्रसन्न रहती हूं। अब मैं 7–8 साल से योग कर रही हूं। एक साल से करा भी रही हूं। योग ने मेरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। आज की तनाव भरी जिंदगी में हर किसी को योग अपनाना चाहिए।

मीना पटवाल

मैं पहले बीपी, शुगर की बीमारी से परेशान थीं, मैंने तीन साल पहले योग शुरु किया तब से मेरा शुगर बीपी कंट्रोल में हैं। मैं सभी से यह अनुरोध करना चाहूंगी कि योग को अपनाएं और स्वस्थ रहें।

एकाग्रता से ही विजय मिलती है।

अभिशाप है अनुच्छेद 35–ए, इसे हटाने का यही है सही वक्त

जम्मू–कश्मीर में अशांति का सबसे बड़ा कारण धारा 370 एवं अनुच्छेद 35–ए है। इन्हीं दोनों के कारण जम्मू–कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा हासिल है, जिसकी आड़ में कश्मीरी अलगाववादी पाकिस्तान की शह पर कश्मीरी नौजवानों को बरगलाकर कश्मीर की आजादी के नाम पर उग्रवाद की ओर धकेल रहे हैं। देश का हित चाहने वाले जम्मू–कश्मीर सहित देशभर के लोगों को मोदी सरकार से उम्मीद है कि वह कड़ा कदम उठाकर धरती का स्वर्ग कहलाने वाले कश्मीर में धारा 370 एवं 35–ए हटाकर शांति बहाली और उन्नति का मार्ग प्रशस्त करेगी। दरअसल धारा 370 एवं अनुच्छेद 35–ए की आड़ में दो क्षेत्रीय पार्टियों के नेता लोगों की भावनाओं को भड़का कर अर्धदशक से भी ज्यादा समय से प्रदेश में जमे हुए हैं और प्रदेश विकास की दौड़ में सम्पूर्ण भारत से बहुत पीछे छूट गया है।

अनुच्छेद 35–ए की आड़ में तो जम्मू–कश्मीर की लड़कियों का ही नहीं बल्कि भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान से आये शर्णार्थियों से भी भेदभाव किया जाता रहा है। संविधान विशेषज्ञों का कहना है कि कोई भी कानून या संविधान संशोधन संसद के दोनों सदनों में पारित किये बिना लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन कहा जाता है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने राष्ट्रपति के विशेष आदेश से इसे जम्मू–कश्मीर में लागू करवा दिया था, जिसका दंश दशकों बाद भी जम्मू–कश्मीर की लड़कियों और वहां की जनता को झेलना पड़ रहा है। अब जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो न्याय की उम्मीद की जा सकती है।

भाजपा के कई प्रवक्ता और नेताओं का इस पर स्पष्ट रूख है कि भेदभाव करने वाला कोई भी कानून या प्रथा समाप्त होनी चाहिए और यही स्टैंड उनका तीन तलाक के मामले पर भी है। धारा 370 एवं 35–ए के मामले में जम्मू–कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला असमंजस में हैं और उन्हें लगता है कि केन्द्र की भाजपानीत सरकार सुप्रीम कोर्ट में इसे समाप्त करने की वकालत कर सकती है और इसी वजह से महबूबा मुफ्ती एवं फारूक अब्दुल्ला दिल्ली में लॉबिंग कर रहे हैं और महबूबा मुफ्ती तो यहां तक कह गईं कि यदि ऐसा हुआ तो कोई भारत का तिरंगा झंडा जम्मू–कश्मीर में कोई नहीं उठायेगा लेकिन जब जम्मू–कश्मीर में सैन्य बलों पर वहां के स्थानीय नागरिक पत्थरबाजी करते हैं तो वह खामोश रहती हैं। एजेंसी

गुरदासपुर उपचुनाव में बीजेपी को झटका

पंजाब के गुरदासपुर उप चुनाव के आए नतीजे बीजेपी को जोरदार झटका लगा है. कांग्रेस के कैंडिडेट सुनील जाखड़ ने 1,93,219 वोटों से जीत हासिल की. बीजेपी के लिए दुखद खबर इसलिए है कि क्योंकि गुरदासपुर लोकसभा सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती रही है. कांग्रेस प्रत्याशी सुनील जाखड़ की जीत के बाद बीजेपी खेमें में मायूसी का आलम है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी में जश्न का माहौल है. जाखड़ ने शुरू से ही बढ़त बनाई हुई थी. उनकी बढ़त से कांग्रेस की जीत तय मानी जा रही थी, महज औपचारिकता बाकी थी.यह भी पढ़ेंरू गुरदासपुर उपचुनाव रू बीजेपी को तगड़ा झटका, कांग्रेस के सुनील जाखड़ ने करीब 2 लाख वोटों से जीत हासिल की वहीं, पंजाब के कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने जाखड़ की जीत को दिवाली का उपहार बताया है. उन्होंने कहा कि पंजाब की जनता ने इस जीत से कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को दिवाली का गिफ्ट दिया है। उन्होंने इस दौरान अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल पर भी कड़े हमले किए. सिद्धू कहा कि यह जीत कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जीत है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस की इस भारी जीत से पंजाब में भाजपा और अकाली दल की कमर टूट गई है. गुरदासपुर लोकसभा सीट भाजपा का गढ़ रहा है, लेकिन वो कौन से कारण है जिससे भाजपा के गढ़ में उसकी यह हालात हो गई है.बीजेपी नेताओं के मुताबिक हार के प्रमुख कारण...– पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद पहला चुनाव था, सरकार ने पूरी ताकत लगाई , – कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने चुनाव लड़ा इसलिए पूरी पार्टी एकजुट होकर लड़ी, – बीजेपी का उम्मीदवार चयन सही नहीं था. चुनावों के बीच अकाली दल नेता और बीजेपी उम्मीदवार पर आरोप लगने से मामला बिगड़ा.,– कविता खन्ना को लड़ाना सही नहीं होता, क्योंकि उन्हें बाद में उतारा जा सकता है., – जीएसटी को लागू करने से आ रही दिक्कतों से व्यापारी वर्ग नाराज था.– विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 23 सीटें लड़ी थीं और सिर्फ 3 जीती थीं। विनोद खन्ना को आम आदमी पार्टी के मुक. ाबला त्रिकोणीय बनाने से फायदा मिला था. इस बार आप उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई। एजेंसी

भाग्य साहसी का साथ देता है।

रोहिंग्या मामले में मानवता का पालन, मतलब पैरों पर कुल्हाड़ी मारना

विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए विजयादशमी उत्सव का बहुत महत्त्व है। वर्ष 1925 में विजयादशमी के अवसर पर ही संघ की स्थापना स्वतंत्रतासेनानी डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार ने की थी। विजयादशमी के अवसर पर होने वाला सरसंघचालक का उद्‌बोधन देश–दुनिया में भारतवंदना में रत स्वयंसेवकों के लिए पाथेय का काम करता है। इस उद्‌बोधन से संघ की वर्तमान नीति भी स्पष्ट होती है, इसलिए स्वयंसेवकों के अलावा बाकी अन्य लोग भी सरसंघचालक के उद्‌बोधन को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। इस दशहरे पर संघ के वर्तमान सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने अपने उद्‌बोधन में महत्त्वपूर्ण विषयों पर संघ के दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया। अपने इस उद्‌बोधन में उन्होंने समाज की सज्जनशक्ति को जगाने का श्जामवन्तीश प्रयास किया है। समाज में सज्जन लोगों का प्रतिशत और उनकी शक्ति अधिक है, लेकिन महावीर हनुमान की तरह समाज को अपनी सज्जनशक्ति का स्मरण नहीं है। रामकथा में माता सीता की खोज पर निकले हनुमान सहित अन्य वीर जब समुद्र के विस्तार को देखते हैं, तब उनका उत्साह कम हो जाता है। तब जामवन्त ने हनुमान को उनके पराक्रम से परिचित कराया था। जब पराक्रमी हनुमान को अपनी शक्ति का स्मरण होता है, तब 100 योजन विशाल समुद्र भी उनके मार्ग में बाधा नहीं बन सका। जब समाज की सज्जनशक्ति को अपने बल का परिचय प्राप्त हो जाएगा, तब भारत को विश्वगुरु की खोयी हुई प्रतिष्ठा प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता।

संघ समाज जागरण के महत्त्वपूर्ण कार्य में अहर्निश जुटा हुआ है, क्योंकि वह मानता है कि समाज को जागृत किए बिना राष्ट्र निर्माण संभव नहीं है। शासन के स्तर पर जो बदलाव दिख रहे हैं, देश की जो अच्छी तस्वीर बन रही है, उसे और सुंदर एवं स्थायी बनाने के लिए समाज की सज्जनशक्ति का जागृत होना आवश्यक है। इस संदर्भ में सरसंघचालक डॉ. भागवत ने कहा कि समाज को राष्ट्रगौरव से परिपूर्ण पुरूषार्थ के लिए खड़ा करना है तो देश के चिंतकों और बुद्धिधर्मियों को पहले अपने स्वयं के चित्त से उस विदेशी दृष्टि के विचारों को व संस्कारों को हटा कर मुक्त होना होगा, जो गुलामी के कालखंडों में हमारे चित्त को व्याप्त कर उसे आत्महीन, भ्रमित व मलिन कर चुके हैं। उनका कहना उचित ही है। जब तक हम मानसिक औपनिवेशिकता से मुक्त नहीं होंगे, भारत का निर्माण भारतीयता के अनुरूप नहीं कर पाएंगे। मानसिक दासिता से मुक्त नहीं होने के कारण हम सभी समस्याओं का समाधान पश्चिम के दृष्टिकोण से ही खोजते हैं। ऐसे में समाधान तो नहीं मिलते, बल्कि हम नई प्रकार की समस्याएं और खड़ी कर लेते हैं।

सरसंघचालक डॉ. भागवत ने उस अराष्ट्रीय विचारधारा और चिंतनशैली की ओर भी इशारा किया, जो बहुलतावाद की आड़ में समाज में विभिन्न प्रकार के अलगाव उत्पन्न कर रही है। उन्होंने कहा– श्भाषा, प्रान्त, पंथ–संप्रदाय, समूहों की स्थानीय तथा समूहगत महत्वाकांक्षाओं को उभारकर समाज में आपस में असंतोष, अलगाव, हिंसा, शत्रुता या द्वेष तथा संविधान एवं कानून के प्रति अनादर का वातावरण बढ़ाते हुए अराजकसदृश्य स्थिति उत्पन्न करने का खेल राष्ट्रविरोधी शक्तियाँ अन्य सीमावर्ती राज्यों में भी खेलती हुई दिखाई देती हैं। एजेंसी

अध्ययन से उन्नति

घटना 19वीं सदी की है। स्कॉटलैंड के एक निर्धन परिवार में एक बालक ने जन्म लिया। उसका पिता एक छोटा सा खोमचा लेकर फेरी लगाया करता था और मां घर पर केक बना कर सड़क के नुक्कड़ पर बेचा करती थी। होश संभालने पर बालक को असहास हो गया कि इस गरीबी के वातावरण में यहां रहकर विकास नहीं हो सकता। कुछ दिनों में अपने माहौल से वह इतना ऊब गया कि घर वालों को कुछ बताए बिना अमेरिका चला गया। वहां उसे एक इस्पात कंपनी में चपरासी का पद मिल गया। काम ज्यादा नहीं था। जब घंटी बजती वह मैनेजिंग डाइरेक्टर के सामने हाजिर हो जाता और काम पूरा करके केबिन के बाहर रखे स्टूल पर बैठ जाता। उसे बेकार समय गुजारना अच्छा नहीं लगता था। इसलिए मैनेजिंग डाइरेक्टर से उसने यह इजाजत ले ली कि खाली समय में वह उनकी अलमारी से निकाल कर पढ़ेगा और फिर उसे सुरक्षित अलमारी में रख देगा। अब वह खाली समय में पुस्तकें पढ़ा करता। एक दिन डायरेक्टर्स मीटिंग में डाइरेक्टरों में किसी बात पर विवाद होने लगा। वे किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे थे। वह चपरासी सभी चर्चा सुन रहा था। वह अपने स्थान से उठा और अलमारी से एक पुस्तक निकाल कर उस पृष्ठ को खोलकर उनकी मेज पर रख दिया जिसमें उस प्रश्न का उत्तर था। एक स्वर से सबने उसकी विद्वत्ता को सराहा। उस चपरासी ने उद्देश्यपूर्ण और योजनाबद्ध ढंग से स्वाध्याय करके दिखा दिया कि अध्ययन के बल पर व्यक्ति बड़ी से बड़ी योग्यता हासिल कर सकता है। प्रगति के मामले में वह यहीं तक नहीं रुका रहा। परिश्रम, लगन और निरंतर स्वाध्याय से उसने अच्छा खासा धन भी अर्जित किया। इतिहास में उसे चौरिटी के लिए मशहूर अमेरिकी करोड़पति एंड्रयू कार्नेगी के रूप में जाना जाता है।

निर्मल जैन

एक अच्छा पड़ोसी आपके घर की कीमत दोगुनी कर देता है।

रियल एस्टेट प्राधिकरण RERA

भू–सम्पदा विनियामक अधिनियम, 2016 (रियल एस्टेट प्राधिकरण RERA) भारत के संविधान का अधिनियम है जिसे घर खरीदने वाले उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा करने के साथ–साथ रियल इस्टेट व्यवसाय में निवेश को बढ़ावा देने हेतु लागू किया गया है। यह अधिनियम 1 मई, 2016 से लागू है। रियल्टी क्षेत्र में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व लाएंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि डेवलपर्स द्वारा धोखा ना दिया जाए। यह अधिनियम यह भी सुनिश्चित करेगा कि उपभोक्ताओं को अपने घर के delivery के लिए अधिक इंतजार ना करना पड़े।

इस अधिनियम का उद्देश्य है:–

■ रियल इस्टेट क्षेत्र को नियंत्रित करने एवं प्रोत्साहित करने के लिए भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण की स्थापना हेतु।

■ परियोजनाओं में पारदर्शिता लाने हेतु।

■ रियल इस्टेट सेक्टर के विकास एवं प्रोत्साहन के लिए सरकार को आवश्यक संस्तुतियाँ करने हेतु।

■ नागरिकों को विकासकर्ताओं के बारे में सही व सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने हेतु।

■ विकास से संबंधित मामलों में उचित सरकार को सिफारिशें प्रदान करेंय अचल संपत्ति क्षेत्र को बढ़ावा देनाय

एक्ट की मुख्य विशेषताएंरूरू

■ भू–सम्पदा विनियमाक प्राधिकरण के रूप में एक शासकीय अभिकरण की स्थापना जिसे विकासकर्ता के विरूद्ध कोई शिकायत होने पर अप्रोच किया जा सके।

■ प्राधिकरण को ऐसे कानूनी अधिकार उपलब्ध कराना जिसके माध्यम से रियल इस्टेट क्षेत्र के अन्तर्गत आवासीय एवं व्यवसायिक परियोजनाओं में होने वाले ट्रांजैक्शन्स को नियंत्रित किया जा सकेगा।

■ इस कानून के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि विकासकर्ता अपनी परियोजना से सम्बन्धित समस्त सूचनाएं यथा–परियोजना मानचित्र, ले–आउट प्लान, शासकीय स्वीकृतियां, भू–स्वामित्व विवरण, परियोजना के सब–कान्ट्रैक्ट, कार्य पूर्ण करने के शेड्यूल, इत्यादि भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण को उपलब्ध कराएं तथा उपभोक्ताओं को ऐसी समस्त जानकारियां प्राप्त हो सकें।

■ अधिनियम में ट्रिब्यूनल की भी व्यवस्था की गयी है जिसके द्वारा किसी आदेश का उल्लंघन करने पर अधिकतम 3 वर्ष के कारागार अथवा जुर्माना भी हो सकता है।

■ वर्तमान में यदि किसी परियोजना में विलम्ब होता है तो विकासकर्ता को इसमें कोई उल्लेखनीय नुकसान नहीं होता है, परन्तु अब यह सुनिश्चित किया गया है कि कोई विलम्ब होने पर विकासकर्ता को वही ब्याज दर देना होगा जो ब्याज दर उपभोक्ताओं से मासिक किस्त वसूलते समय लिया जाता है।

■ उपभोक्ता की लिखित सहमति के बिना विकासकर्ता अपनी परियोजना जो विक्रय की गयी है, में किसी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकेगा।

■ कोई भी परियोजना जो 500 वर्ग मीटर क्षेत्र से अधिक की है अथवा 8 अपार्टमेंट्स से अधिक की है को अनिवार्य रूप से भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण में पंजीकृत कराना होगा।

■ जिन बिल्डर्स के पास रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र नहीं है, उन्हें इस कानून के लागू होने के 3 माह के भीतर पंजीकरण करना होगा द्य । रियल एस्टेट एजेंट जो संपत्ति बेचने या खरीदने की सुविधा (मतअपबम) प्रदान करते हैं, उन्हें त्म्त्। (तमंस मेजंजम तमहनसं. जपवद बज.) से पहले पंजीकरण करना होगा । ऐसे एजेंटों को प्रत्येक राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक एकल पंजीकरण नंबर जारी किया जाएगा द्य जिसे एजेंट द्वारा उसके द्वारा की जाने वाली प्रत्येक बिक्री में उद्धृत किया जाना चाहिए।

■ अधिनियम से अवैध धन पर रोक लगाई जाएगी और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस अधिनियम ने डेवलपर के लिए प्रत्येक परियोजना के लिए एक एस्क्रो अकाउंट(जिस खाते में एक खाताधारक मासिक या अन्य आवधिक जमा करता है, और बैंक को कर, किराया, बीमा प्रीमियम जैसी निश्चित दायित्वों के लिए भुगतान करने के लिए धन निकालने का अधिकार देता है।) खोलना अनिवार्य कर दिया है। इस खाते में एक विशेष परियोजना के लिए एकत्र किए गए पैसे का 70: हिस्सा जमा करना है।

इस कानून के तहत यह निर्णय भी लिया लिया गया है कि एक डेवलपर केवल कारपेट (ब्।त्च्म्ज्) क्षेत्र के आधार पर बेच सकता है । जिससे यह घर खरीदार को समझने में मदद करेगा कि वह प्रत्येक वर्ग फुट के लिए कितना भुगतान कर रहा है।

इस अधिनियम में प्रवर्तकों को इकाइयों या संरचनात्मक परिवर्तनों की संख्या में कोई भी परिवर्तन करने से पहले दो–तिहाई (66:) खरीदारों की सहमति लेना अनिवार्य है। इस कानून के तहत घर खरीदारों के विवादों को जल्दी खतम करने क लिए 644 जिला स्तर के उपभोक्ता अदालतों का प्रस्ताव है। ट्रिब्यूनल और नियामक प्राधिकरणों के लिए एक समय सीमा निर्धारित की गई है। इस अधिनियम (RERA) का उद्देश्य प्राथमिक अचल संपत्ति बाजार में घर खरीदारों के हितों की रक्षा करना है। अभी तक, यह बिल्डर–खरीदार समझौते के लिए प्रतिबंधित था, जो बिल्डर के हितों की रक्षा के लिए मुश्किल था।

संपादकीय टीम

खरी-खरी

संतोष मिश्र

केंद्र सरकार द्वारा सरकारी वकीलों की नियुक्ति एवं उनके फीस भुगतान में करोड़ों का घोटाला, सरकार लोगों से एक–एक पैसे का हिसाब चाहती है लेकिन वकीलों का भुगतान कितना किया गया सरकार एवं कानून मंत्रालय के पास कोई हिसाब ही नहीं। एक जनसूचना अधिकार के तहत मांगी गई सूचना में सैकड़ों पत्र आए परंतु सूचना एक भी नहीं आई।

सफल आदमी बनने के बजाय एक महत्वपूर्ण आदमी बनने की सोचिये।

अल्मोड़ा से लॉर्ड्स तक का एकता बिष्ट का सफर काफी संघर्षमय

पहाड़ी प्रदेश और पहाड़ी जीवन कई मायनों में अलग होता है। मैदानी इलाकों में रहते हुए हम जब पहाड़ों की तरफ देखते हैं तो ऐसा लगता है मानो सब कुछ बड़ा ही सुखद और नैसर्गिक है, लगता है पहाड़ हमें अपनी ओर खींच रहे हैं लेकिन पहाड़ पर रहना और सफलता की कहानी लिखना किसी पहाड़ से कम नहीं है।

पहाड़ के उबड़–खाबड़ ऊँचे–नीचे रास्ते, यातायात, स्वास्थ्य की शून्य सुविधाएँ और नित्य नई आपदाओं से त्रस्त जन–जीवन के मध्य सफलता के शिखर पर पहुँचना सहज नहीं है। आज से लगभग बारह साल पहले की घटना मुझे याद आती है उत्तराखण्ड के अल्मोड़ा शहर के लाला बाजार से गुजरते हुये एक वॉबकट बालों वाली लड़की ने अनायास आगे बढ़कर मेरे पाँव छूकर मुझे प्रणाम किया। उत्तराखण्ड में पैर छूकर प्रणाम करने की परम्परा है और मेरे मुँह से निकला–– हजारी प्रसाद! जी हाँ, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उदयीमान खिलाड़ी एकता बिष्ट जिसने थोड़े से समय में ही अपनी प्रतिभा से ना केवल अपनी सफलता के झंडे पूरे संसार में गाड़े हैं बल्कि देश और भारतीय महिलाओं को गौरवान्वित किया है।

एकता बिष्ट को मैं इसी नाम से पुकारती थी। एकता मेरी स्टूडेंट रही और हेयर कट के कारण मैं उसे हजारी प्रसाद द्विवेदी कहती थी। मैंने उससे पूछा–– और एकता! क्या चल रहा है? क्रिकेट खेल रही हो या छोड़ दिया? जी मैम खेल रही हूँ पाकिस्तान से खेलना था लेकिन इस पैर की चोट की वजह से नहीं खेल पाई।

कोई बात नहीं और अवसर आयेंगे–– ये कहकर मैं आगे बढ़ गई।

उसके बाद एकता मुझे कई वर्षों तक नहीं मिली लेकिन उसकी सफलता की नित्य नई कहानियाँ हम सब तक पहुँचती रहीं। खेल सुविधाओं के नाम पर शून्य अल्मोड़ा जैसे छोटे शहर की कच्ची पक्की पिच पर कभी रबड़ और कभी कपड़े की गेंद से गेंदबाजी का अभ्यास करके अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाना कोई हंसी खेल नहीं।

ऐसी सफलता के लिए परिवार का एकनिष्ठ सर्मपण, अदम्य साहस, लगन और जी तोड़ मेहनत की आवश्यकता होती है। एकता को मैंने बचपन से देखा उसके लिए परिस्थितियां बहुत विकट थीं पिता फौज से रिटायर और परिवार की

माली हालत भी ठीक नहीं थी।

उस पर पुरानी परम्पराओं और संस्कृति के रंग में रचे बसे सांस्कृतिक शहर की दकियानूसी फिजा जिसमें एक लड़की का लड़कों के साथ, लड़कों का खेल खेलना किसी आश्चर्य से कम ना था लेकिन समाज के तंजों की मार सहकर अल्मोड़ा स्टेडियम की कच्ची पक्की पिच पर अपने गुरु लियाकत अली के साथ अभ्यास करने वाली एकता ने जो अपनी खुली आँखों से लॉर्ड्स में खेलने का सपना देखा उसे असली जामा पहनाने के लिए उसने कड़ी मेहनत की राह चुनी। सही गुरु का दिशा निर्देशन, परिवार का साथ और कुछ कर गुजरने की ललक ने एकता को सफलता का रास्ता दिखा दिया। २००५ में पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य के रूप में खेलने के लिए एकता के पिता ने अपने चचेरे भाई नरसिंह बिष्ट से ५००० रु० उधार तक लिए और एकता को मैसूर भेजा लेकिन चोट के कारण वह खेल नहीं पाई। २०१० में बैंगलुरु के विश्वकप कैम्प के लिए कॉलेज के विद्यार्थियों ने मिलकर दस हजार रु० जमा कर एकता को बैंगलुरु भेजे थे।

इस तरह धुन की पक्की एकता निरन्तर लक्ष्य तक पहुँचने की लिए सतत प्रयत्नशील रही जिसके परिणाम स्वरूप २०१२ से भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्थाई खिलाड़ी है। अब तक सभी प्रारूप में खेल चुकी एकता ने १०० से भी ज्यादा अन्तर्राष्ट्रीय विकेट प्राप्त कर लिए हैं।

वह हैट्रिक एवं रिकॉर्ड स्पेल डालकर अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुकी है। पाकिस्तान जैसे प्रतिद्वन्द्वी की खिलाफ २ बार ५ विकेट लेकर एकता ने सभी देशवासियों का सीना गर्व से फुला दिया है, पाकिस्तान के खिलाफ १० ओवर में ७ मेडन मात्र ८ रन और ५ विकेट और फिर भारत की विशाल जीत अविस्मरणीय है और अब २०१७ महिला विश्वकप में एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ ५ विकेट लिए। ये अल्मोड़ा शहर के लिए गौरव का विषय है, क्यूंकि इस शहर ने एकता को कठोर अभ्यास और मेहनत करते देखा है।

एजेंसी

खरी-खरी

जनता ने सड़क के गड्ढों में दिए जलाकर सरकार की नाकामी का सबूत दिया।

बृजमोहन

महान कार्ये करने का एक मात्र तरीका यह है की आप अपने काम से प्यार करे।

संत निराला जी महाराज एवं बाबा जगत स्वरुप ब्रह्मचारी (बाएं) एसडीएम तिरवा शालिनी (बीच में) आलोक सोलंकी एवं निर्भय सिंह तोमर। मैनपुरी एसएसपी राजेश को लोक जागृति पत्रिका भेंट करते पत्रिका के आलोक सोलंकी।(दाएं)

डा. डीएस मटोलिया के साथ हिंदू युवा वाहिनी टीम के आलोक सोलंकी।(बाएं) सामाजिक कार्यकर्ता रणधीर यादव व आलोक सोलंकी बीएसए कन्नौज अखंड प्रताप सिंह पत्रिका भेंट करते। (बीच में)डीआईओएस कन्नौज श्रीमति विमलेश विजय के साथ आलोक सोलंकी।(दाएं)

किशानी थाना प्रभारी शशिकांत को लोकजागृति पत्रिका भेंट करते आलोक सोलंकी।

कोई भी सफलता एक रात में नहीं मिलती है। उसके पीछे जाने कितने वर्षों की कड़ी मेहनत होती है।

सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) क्या है ?

सिप नियमित रूप से निवेश के सिद्धांत पर काम करता है। यह आपके आवर्ती जमा की तरह है जिसमें आप हर महिने कुछ छोटी राशि डालते हैं।

ये आपको एक बार में भारी पैसा निवेश करने की जगह म्यूचुअल फंड में कम अवधि का (मासिक या त्रैमासिक) निवेश करने की आजादी देता है। सिप आपको एक म्युचुअल फंड में एकसाथ 5,000 रूपये के निवेश की बजाय 500 रूपये के 10 बंटे हुये निवेश की सुविधा देता है ।

इससे आप अपनी अन्य वित्तीय जिम्मेदारियों को प्रभावित किये बिना म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं।सिप कैसे काम करता है ये बेहतर समझने के लिये आपको Rupee cost averaging और धन के जुङते रहने की शक्ति (power of compound-ing) को समझना जरूरी है।

सिप एक औसत आदमी की पहुंच के भीतर म्यूचुअल फंड निवेश को ले आया है क्योंकि यह उन तंग बजट लोगों को भी निवेश करने योग्य बनाता है जो एक बार में बङा निवेश करने के बजाय 500 या 1,000 रूपये नियमित रूप से निवेश कर सकते हैं।

SIP के माध्यम से छोटी छोटी बचत करना शायद पहली बार में आकर्षक न लगे लेकिन ये निवेशकों को बचत की आदत डालता है और बढते वर्षों में ये आपको सुंदर प्रतिलाभ (रिटर्न) देते हैं। 1,000 रूपये महिने का एकसिप का धन 9: की दर से 10 वर्षों में बढकर 6.69 लाख रूपये, 30 साल में 17.38 लाख रूपये और 40 साल में 44.20 लाख तक हो सकता है।

यही नही धनी लोगों को भी ये गलत समय और गलत जगह पर निवेश करने की आशंका से बचाता है। हांलाकिसिप का असली फायदा निचले स्तर पर निवेश करने से मिलता है।

SIP के अन्य लाभों में शामिल हैंकृ

1.अनुशासित निवेश– अपने धन कोष को सुरक्षित बनाये रखने के मुख्य नियम हैं– लगातार निवेश करें,अपने निवेशों पर ध्यान केन्द्रित रखें और अपने निवेश के तरीके में अनुशासन बनाये रखें। हर महिने कुछ राशि अलग निक. ालने से आपकी मासिक आमदनी पर अधिक अन्तर नही पङेगा। आपके लिये भी बङे निवेश हेतु इकट्ठा पैसा निकालने से बेहतर होगा कि हर महिने कुछ रूपये बचाये जायें।

2.रूपये के जुङते रहने की शक्ति (च्वूमत वि ब्बउचनदकपदह) निवेश गुरू सुझाव देते हैं कि एक व्यक्ति को हमेशा जल्दी निवेश शुरू करना चाहिये इसका

एक मुख्य कारण है चक्रवृद्धि ब्याज मिलने का लाभ। चलिये इसे एक उदाहरण से जानें। प्रसून(अ) 30 साल की उम्र से 1,000 रूपये हर साल बचाना शुरू करता है,वहीं प्रसूव (ब) भी इतना ही धन बचाता है लेकिन 35 साल की आयु से। जब 60 साल की उम्र में दोनों अपना निवेश किया हुआ पैसा प्राप्त करते हैं तो (अ) का फंड 12.23 लाख होता है और (ब) का केवल 7.89 लाख। इस उदाहरण में हम 8: की दर से रिटर्न मिलना मान सकते हैं। तो ये साफ है कि शुरू में 50,000 रूपये निवेश का फर्क आखिरी फंड पर 4 लाख से ज्यादा का प्रभाव डालता है। ये रूपये के जुङते रहने की शक्ति (Power of compound-ing) के कारण होता है। जितना लंबा समय आप निवेश करेंगे उतना ज्यादा आपको रिटर्न मिलेगा।

अब मान लीजिये कि (अ) हर साल 10,000 निवेश करने की बजाय 35 वर्ष की उम्र से हर 5 साल बाद 50,000 निवेश करता है इस स्थिति में उसकी निवेश किया धन उतना ही रहेगा (जो कि 3 लाख है) लेकिन उसे 60 साल की उम्र में 10.43 लाख का फंड (कोष) मिलता है। इससे पता चलता है कि देर से निवेश करने में समान धन डालने पर भी व्यक्ति शुरू में मिलने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के फायदे को खो देता है।

3. रूपये की कीमत का औसत(Rupee Cost Averaging) ये मुख्य रूप से शेयरों में निवेश के लिये उपयोगी है। जब आप एक फंड में लगातार अंतराल पर समान धन का निवेश करते हैं तो रूपये की कम कीमत के समय में आप शेयर की ज्यादा यूनिट खरीदते हैं। इस प्रकार समय के साथ आपकी प्रति शेयर या (प्रति यूनिट) औसत कीमत कम होती जाती है। यह रूपये की औसत लागत की नीति होती है जो एक लंबी अवधि के समझदार निवेश के लिये बनाई गयी है। ये सुविधा अस्थिर बाजार में निवेश के खतरे को कम करती है और बाजार के उतार चढाव भरे सफर में आपको सहज बनाये रखती है।

जो लोगसिप के माध्यम से निवेश करते हैं वे बाजार के उतार के समय को भी उतनी ही अच्छी तरह संभाल सकते हैं जैसे वो बाजार के चढाव के समय को।

संपादकीय टीम

खरी-खरी

संतोष मिश्रा

ध्वनि प्रदूषण के कारण जंतर–मंतर पर प्रदर्शन बंद करा दिया गया लेकिन 2000 सीसी के वाहन नहीं हट पाए।

विजेता बोलते हैं की 'मुझे कुछ करना चाहिए' हारने वाले बोलते हैं की 'कुछ होना चाहिए'

नया दिवालियापन विधेयक

महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार के नाते केंद्र सरकार बैंकरप्सी कोड यानी दिवालियापन संहिता नाम के लिए विधेयक को संसद से पारित करवाने में सफल हो गई है। नया कानून 1909 के 'प्रेसिडेंसी टाउन इनसॉलवेन्सी एक्ट' और 'प्रोवेंसिएल इनसॉलवेन्सी एक्ट 1920' को रद्द करता है और जनसमूह एक्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट और 'सेक्युटाईजेशन एक्ट' समेंत कई कानूनों में संशोधन करता है। पुराना कानूनरू में कोई भी व्यक्ति, जनसमूह या साझेदारी फर्म व्यवसाय में नुकसान के चलते कभी भी दिवालियापन हो सकते हैं। यदि कोई आर्थिक इकाई दिवालिया होती है तो इसका मतलब यह है कि वह अपने संसाधनों के आधार पर अपने ऋणों को चुका पाने में असमर्थ है। ऐसी स्थिति में कानून में स्पष्टता न होने पर ऋणदाताओं को भी नुकसान होता है और स्वयं उस व्यक्ति या फर्म को भी तरह–तरह की मानसिक एवं अन्य प्रताड़नाओं से गुजरता पड़ता है। देश में अभी तक दिवालियापन से संबंधित कम से कम 12 कानून थे और उसमें से कुछ तो 100 साल से भी अधिक पुराने हैं। इसके अलावा एक अनुमान यह भी है कि बैंको से भारी–भरकम कर्जा लेकर विदेश जा बैठे उद्योगपति विजय माल्या जैसे प्रकरणों पर रोकथाम के उद्देश्य से बनाया गया । नए दिवालियापन कानुन के अनुसार किसी ऋणी के दिवालिया होने पर आसानी से उसकी परिसंपत्तियों को अधिकार में लिया जा सकता है। नए कानून के हिसाब से यदि 75 प्रतिशत ऋणदाता सहमत हों तो ऐसी कोई जनसमूह जो अपने ऋण नहीं चुका पा रही, पर 180 दिनों (90 दिन के अतिरिक्त रियायती काल के साथ) के भीतर कार्रवाई की जा सकती है। यदि तब भी वसुली नहीं हो पाती तो वह फर्म या व्यक्ति स्वयं दिवा. लिया हो जायेंगे। यानी नया कानून लागू होने से ऋणों की वसुली में अनावश्यक देरी और उससे होने वाले नुकसानों से बचा जा सकेगा। ऋण न चुका पाने की स्थिति में जनसमूह को अवसर दिया जाएगा कि वह एक निश्चित कालखंड में अपने ऋण को चुका दे अन्यथा स्वयं को दिवालिया घोषित करें। कोई ऋणी यदि दोषी पाया जाता है तो उसे 5 साल की सजा का भी प्रावधान है। , जहां तक दिवालिया घोषित व्यक्ति या फर्म की विदेशी परिसंपत्तियों का विषय है, सरकार अन्य देशों के साथ संधि कर ऐसे मामलों को निपटानें का काम कर सकती हैं। ऐसे काम नए दिवालियापन कानून के अनुसार अनुमति दिवालियापन पेशेवर के द्वारा ही दिवालिया घोषित करने संबंधी कार्रवाई की जा सकेगी। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (राष्ट्रीय जनसमूह कानून) किसी भी जनसमूह के दिवालिया घोषित करने के लिए प्रस्तावित किया जाएगा और किसी भी व्यक्ति को दिवालिया घोषित करने के लिए ऋण वसुली ट्रिब्यूनल काम करेंगे। कानून के अनुसार दिवालियापन निवेश का भी निर्माण होगा . दिवालियापन बिल 21 दिसंबर 2015 को लोकसभा में पेश किया गया था। इसके बाद इसे संसद की संयुक्त समिति के पास भेजा गया था। इसे मंजूरी के लिए राज्यसभा भेजा गया। इस बिल के तहत विश्व बैंक के अनुसार किसी भी व्यवसाय को बंद करने की आसानी के संबंध में अभी 189 देशों में भारत विश्व में 136वें पायदान पर है। विश्व बैंक की विवरण के अनुसार भारत में किसी व्यवसाय को बंद करने के लिए 4 साल से अधिक समय लग जाता हैं। ऐसे में नए दिवालियापन कानून से यदि देश में सामान्यतौर पर व्यवसाय को बंद करने के संबंध में आसानी होती है, तो 'ईज ऑफ डूईंग बिजनेस' के हिसाब से भारत दुनिया में बेहतर स्थिति में आ जाएगा, जिसका मतलब यह होगा कि देश में स्थानीय और विदेशी निवेश के लिए बेहतर वातावरण बनेगा। दिवालियापन कानून किसी देश के वित्तीय ढांचे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और इसे समय के साथ बदलना जरूरी है। कई विदेशी जनसमूहों ने भारत में निवेश किया हुआ है और उसी प्रकार कई भारतीय जनसमूहों ने भी दुनिया के दूसरे मुल्कों में अपनी उपस्थिति दर्ज की है। विदेशी बैंको और ऋणदाताओं ने भारत में परिसंपत्तियों के लिए उधार दिया हुआ है लेकिन इस कानून के माध्यम से भारतीय एवं अन्य देशों के न्यायालयों के बीच किसी प्रकार के सहकार की प्रभावी व्यवस्था नहीं है। इस तरह नए कानून के हिसाब से दिवालिया घोषित करने वाले पेशेवरों की नियुक्ति, निष्कासन और परीक्षण में सरकार का जरूरत से ज्यादा दखल रहेगा। इसलिए अनुभवी पेशेवरा. ं का इस काम में आना मुश्किल होगा। फिर, यह कानून ऋणदाताओं के पक्ष में ज्यादा है और ऋणियों की समस्याओं का निवारण की व्यवस्था इसमें नहीं है। आज देश में दिवालियापन से संबंधित 70 हजार से भी ज्यादा मामले लंबित हैं। ऐसी स्थिति में व्यवसाय के लिए बेहतर वातावरण नहीं मिलता। दिसंबर 2015 तक बैंको के 3.6 लाख करोड़ रुपए शंका वाले ऋणों में लगे हैं, जिसे 'बैड लोन्स' भी कहते हैं। ऐसे ऋणों की मात्रा पिछले साल 7.3 प्रतिशत बढ़ी है। नए दिवालियापन के अनुसार मजदूरों की आर्थिक सुरक्षा का भी ध्यान रखा गया है। जनसमूह के दिवालिया घोषित होने पर मजदूरों की कमाई पर सीधी मार पड़ती है। ऐसे में उनके आर्थिक हालात अचानक न बिगड़ जाए, इसका प्रयास करते हुए मजदूरों के लिए 24 महीने के वेतन का प्रावधान रखा गया है यानी 24 महीने तक कार्मिकों को वेतन मिलेगा।

सरकार जानबूझ कर बैंक कर्ज नहीं लौटाने वालों (विलफुल डिफाफल्टर) की विदेशी संपत्ति भी जब्त कर सकेगी। हालांकि इसके लिए सरकार को दूसरे देशों से संधि करनी पड़ेगी, उसके बाद ही संपत्ति जब्त की जा सकती है। कर्जदार के खिलाफ सिर्फ दिवालियापन कूनन के तहत कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि अगर दूसरे कानून के तहत मामला बनता है तो वह भी चलेगा। उदाहरण के लिए अगर सरकार को पता चलता है कि कर्ज लेने वाला पैसे का कहीं ओर या गलत इस्तेमाल कर रहा है तो जांच एजेंसियों उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा सकती हैं। नए कानून के अनुसार 'इनफॉर्मेशन यूटिलटी' (सूचना उपयोगिता) बनाई जाएंगी।

संपादकीय टीम

खरी-खरी

संतोष मिश्र

साधारण ट्रेन तो ठीक से चल नहीं पा रही बुलेट ट्रेन की ठोकी जा रही है ताल।

देश नारे लगाने से महान नहीं बन जाता।

EDUCATION SOLUTION

Education Solution

One Door Solution For All Educational Needs

Save Your Years
and Regularise Your Studies with
"NIOS" Board
Home Tuition Assignments Are Also
Provided at Affordable Cost

Complete Your
Syllabus in Summer
Vacation

Now in
Indirapuram
Niti Khand -1

Abacus Classes
Also Available

ACADEMIC COACHING

Ist - VIIIth
MATHS
SCIENCE, ENGLISH
HINDI, S.ST.

IXth - Xth
MATHS
SCIENCE, ENGLISH
HINDI, S.ST.

XIth - XIIth
MATHS,
PHYSICS, CHEMISTRY
BIOLOGY
ENGLISH, ACCOUNTS
ECONOMICS
B.st, C++, I.P.

B.Com, B.A-B.Sc
ACCOUNT, ECONOMICS
MATHS
INCOME TAX
CORP. ACCOUNTING
BUSINESS LAW
COST ACCOUNTING

PROFESSIONAL COACHING

CA-CPT,CS,ICWA
CA-CPT, IPCC
CS (Foundation)
CS (Executive)
CMA (Foundation)
CMA (Inter Mediate)

BBA, MBA
INCOME TAX,
COSTING
FINANCIAL MANAGEMENT
CORPORATE ACCOUNTING
FINANCIAL ACCOUNTING
BUSINESS LAW

B.Tech, MBBS
IIT-JEE, BITSAT
CPMT, UPTECH

Competitive Exam
POLYTECHNIC
BANK ENTRANCE, UPSE
SSC,
SPOKEN ENGLISH, ETC.

HEAD OFFICE : PLOT NO 420 SECTOR 5 VAISHALI GHAZIABAD, BEHIND SHOPRIX MALL

Office : 0120-4130999 | M. : 9911932244, 9999232199, 9999207099, 9999907099

Email: educationsolutionvep@gmail.com | www.educationsolution.co

Royal Offset

Printing The World With Quality

011-65253662,63,64,66, 9971859595, 9999566724
Email Id:-royaloffset207@gmail.com
489 F.I.E, Patparganj Delhi-110095

HEIDELBERG S.M. 74
20x30

NEW BRAND MACHINE
24 घंटे में 200 सैट

KOMORI
19x26

OUR SERVICES:
- Anti Ageing Treatment
- Botox
- Fillers
- Acne Scars
- Birth Marks
- Frown Lines
- Keloid
- Laser Hair Removal
- Moles
- Pigmentation
- Skin Rejuvenation
- Skin Tag
- Tattoo Marks
- Vitiligo (Leucoderma)
- Warts
- Wrinkles
- Whitening Peels

16th ANNIVERSARY

TRANSFORM
YOUR BODY
WITHOUT SURGERY
OR DOWNTIME

DR. T. A. RANA
MBBS, MD (Dermatology)
Dermatologist and Aesthetic Laser surgeon
www.ranaskinlaser.com

Skin Laser Institute
CARE WITH SATISFACTION

A-50, Sector-26, opp. Kailash Hospital, Noida-201301, Contact: 0120-2443400, 7838976117, 9811309751

RNI NO.UPHIN/2011/39809